अनुबंध

अनुबंध-2.1
(संदर्भ पैरा-2.5)
बकाया अग्रिम[1]

क्र.सं.	राज्य	बकाया अग्रिम	राशि (₹ करोड़ में)
1.	**झारखंड**	₹22.90 करोड़ की अग्रिम धनराशि कार्यान्वयन एजेंसियों के पास एक से चार साल तक की अवधि के लिए बकाया थी।	22.90
2.	**हिमाचल प्रदेश**	➢ नमूना-जांच किए गए सिरमौर जिले में, 2011-15 के दौरान दवाओं की खरीद के लिए एचपीएससीएससीएल को ₹1.69 करोड़ रुपये जमा किए थे, जो 18 से 52 महीनों तक की अवधि के लिए असमायोजित (जून 2016 तक) पड़े थे। ➢ 2013-15 के बीच, तीन नमूना-जांच वाले जिलों ने विभिन्न रोगों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए स्नात्कोत्तर संस्थान (पीजीआई), चंडीगढ़ के पास ₹61.64 लाख जमा किए। यह पाया गया कि जून 2016 तक ₹17.07 लाख की राशि समायोजित करते हुए पीजीआई के साथ ₹44.57 लाख की अग्रिम राशि को बकाया छोड़ दिया गया। संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था, कि पीजीआई चंडीगढ़ में इन रोगियों द्वारा इलाज का लाभ उठाया गया है।	1.69 0.44
3.	**ओड़िशा**	➢ राज्य स्तर पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹94.55 करोड़ का अग्रिम मार्च 2016 तक जिलों, अन्य एजेंसियों और कर्मचारियों पर बकाया थे। इसमें सिविल कार्यों के निष्पादन से संबंधित ₹64.02 करोड़ शामिल थे। मार्च 2016 तक 31 अन्य एजेंसियों पर ₹20.92 करोड़[2] की राशि तीन से 60 महीनों से अधिक तक के लिए असमायोजित पड़ी थी। ➢ सात नमूना जांच वाले जिलों में, सीडीएमओ ने 31 मार्च 2016 तक ₹20.57 करोड़[3] की अग्रिम राशि मंजूरी की थी, जो तीन से लेकर 96 महीनों तक की अवधि के लिए असमायोजित पड़ी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीडीएमओ ने बकाया अग्रिमों की समीक्षा करने के लिए अग्रिम रजिस्टर नहीं बनाया था और समय से समायोजन को पुनिश्चित नहीं किया था। लेखापरीक्षा के जवाब में, सीडीएमओ ने (जुलाई 2016) कहा कि उनके पास पड़े अप्रयुक्त राशि को समायोजित करने या वापस करने के लिए	20.92 20.57

[1] वित्तीय प्रबंधन के लिए परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों के पैरा 6.91 के संदर्भ में, अग्रिमों को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय किया जाना है।

[2] पांच वर्ष से अधिक: ₹0.07 करोड़, एक वर्ष से पांच वर्ष तक: ₹6.02 करोड़, तीन माह से एक वर्ष तक: ₹7.35 करोड़ एवं तीन माह तक: ₹7.48 करोड़।

[3] बालासोर: ₹3.30 करोड़ (12 से 48 महीने), बारगढ़: ₹4.74 करोड़ (3 से 96 महीने), बौढ़: ₹1.48 करोड़ (3 से 60 महीने), कंधमाल: ₹0.59 करोड़ (3 से 12 महीने), क्योंझर: ₹0.05 करोड़ (3 महीने), नुआपाड़ा: ₹2.65 करोड़ (13 से 28 महीने) और पुरी ₹7.76 करोड़ (23 से 47 महीने)

क्र.सं.	राज्य	बकाया अग्रिम	राशि (₹ करोड़ में)
		निर्देश जारी किये गये थे।	
4.	**राजस्थान**	मैसर्स राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. (आरएमएससीएल) को 2011-16 के दौरान पिछले अग्रिमों के समायोजन के बिना, अग्रिम दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक ₹181.75 करोड़ के अग्रिम संचित हो गए थे, जिनमें से ₹131.45 करोड़ तीन से लेकर 44 महीने तक की अवधि के लिए बकाया थे। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एसआईएचएफडब्ल्यू) को एसएचएस कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी अग्रिम दिया गया था। एसआईएचएफडब्ल्यू को पिछले अग्रिम के समायोजन के बिना अग्रिमों के जारी होने के कारण, मार्च 2016 तक ₹16.86 करोड़ असमायोजित/अनपेक्षित रहे थे, जिनमें से ₹12.69 करोड़ तीन से 101 महीनों से अधिक समय के लिए बकाया थे।	131.45 12.69
5.	**तमिलनाडु**	दवाओं, उपकरण आदि की खरीद और आपूर्ति एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम लि. (टीएनएमएससी) को सौंपा गया था। निगम द्वारा ₹123.93 करोड़ की राशि का न तो उपयोग किया गया था और न ही एनआरएचएम को मार्च 2016 तक वापस किया गया था, जिसमें से ₹83.35 करोड़ 12 से 96 महीने के लिए बकाया थे।	83.35
6.	**उत्तर प्रदेश**	भवनों के निर्माण, उपकरण आदि की खरीद के लिए दिए गए ₹843.64 करोड़ के अग्रिम मार्च 2016 तक इनकी विभिन्न एजेंसियों के पास बकाया थे, ₹578.46 करोड़ 3 से 36 महीने तक की अवधि के लिए बकाया थे। एसएचएस कार्यों को सौंपने में राज्य/केंद्र सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले संविदात्मक मानदंडों से बाहर निर्माण एजेंसियों को बहुत उदारता से भुगतान कर रहा था।	578.46
7.	**पश्चिम बंगाल**	स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के निर्माण और विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों को आरसीएच और मिशन फ्लेक्सिबल पूल निधि (एनआरएचएम अतिरिक्तता) से अग्रिम दिया गया था। 298 एजेंसियों (सरकारी/गैर-सरकारी) को कुल अग्रिम ₹363.50 करोड़ के प्रति ₹141.65 करोड़ (35 एजेंसियों) के लिए आयु-वार विभाजन उपलब्ध नहीं था। मार्च 2016 तक शेष ₹221.85 करोड़ (263 एजेंसियों) में से, ₹37.49 करोड़ 91 एजेंसियों के पास दो वर्ष से अधिक के लिए पड़ी रही।	37.49
		कुल	**909.96**

अनुबंध-3.1

(पैरा - 3.1 के संदर्भ में)

राज्यों/यूटी में एससी, पीएचसी एवं सीएचसी की उपलब्धता

क्र.सं	राज्य/यूटी	जनसंख्या मानदंडों के अनुसार आवश्यक एससी की संख्या 31 मार्च 2016 तक	उपलब्ध एससी की संख्या 31 मार्च 2016 तक	कमी	जनसंख्या मानदंडों के अनुसार आवश्यक पीएचसी की संख्या 31 मार्च 2016 तक	उपलब्ध पीएचसी की संख्या 31 मार्च 2016 तक	कमी	जनसंख्या मानदंडों के अनुसार आवश्यक सीएचसी की संख्या 31 मार्च 2016 तक	उपलब्ध सीएचसी की संख्या 31 मार्च 2016 तक	कमी
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	123	123	0	22	22	0	4	4	0
2.	आंध्र प्रदेश	7,142	7,626	-484	1,182	1,157	25	296	192	104
3.	अरुणाचल प्रदेश	461	588	-127	69	143	-74	17	63	-46
4.	असम	6,817	4,621	2,196	1,112	1,014	98	278	151	127
5.	बिहार	20,760	9,696	1,064	3,460	533	2,927	865	70	795
6.	छत्तीसगढ़	5,533	5,186	347	870	790	80	217	155	62
7.	गुजरात	9,066	9,156	-90	1,490	1,342	148	366	331	35
8.	हरियाणा	3,006	2,630	376	501	486	15	125	119	6
9.	हिमाचल प्रदेश	2,288	2,071	217	343	518	-175	86	79	7
10.	जम्मू और कश्मीर	2,918	2,450	468	444	398	46	97	84	13
11.	झारखंड	8,813	3,958	4,855	1,376	330	1,046	344	188	156
12.	कर्नाटक	7,805	9,332	-1,527	1,300	2,353	-1,053	325	206	119

क्र.सं	राज्य/यूटी	जनसंख्या मानदंडों के अनुसार आवश्यक एससी की संख्या 31 मार्च 2016 तक	उपलब्ध एससी की संख्या 31 मार्च 2016 तक	कमी	जनसंख्या मानदंडों के अनुसार आवश्यक पीएचसी की संख्या 31 मार्च 2016 तक	उपलब्ध पीएचसी की संख्या 31 मार्च 2016 तक	कमी	जनसंख्या मानदंडों के अनुसार आवश्यक सीएचसी की संख्या 31 मार्च 2016 तक	उपलब्ध सीएचसी की संख्या 31 मार्च 2016 तक	कमी
13.	केरल	6,847	5,781	1,066	1,141	924	217	285	234	51
14.	मध्य प्रदेश	11,780	9,192	2,588	2,000	1,172	828	487	334	153
15.	महाराष्ट्र	15,390	10,580	4,810	2,461	1,811	650	596	363	233
16.	मणिपुर	690	421	269	109	85	24	27	17	10
17.	मेघालय	759	431	328	114	109	5	28	27	1
18.	मिजोरम	364	370	-6	54	57	-3	14	9	5
19.	ओडिशा	9,983	6,688	3,295	1,597	1,305	292	399	377	22
20.	पंजाब	3,468	2,950	518	578	427	151	144	150	-6
21.	राजस्थान	10,995	14,408	-3413	1,800	2,080	-280	450	571	-121
22.	सिक्किम	203	147	56	30	24	6	7	2	5
23.	तेलंगाना *	4708	4863	-155	768	668	100	192	114	78
24.	त्रिपुरा	1054	1033	21	125	94	31	30	20	10
25.	तमिलनाडु	10920	8712	2208	1,812	1,368	444	538	385	153
26.	उत्तरांचल	3372	1847	1525	505	257	248	126	59	67
27.	उत्तर प्रदेश	32017	20,521	11,496	5,183	3,621	1,562	1,555	818	737
28.	पश्चिम बंगाल	18,280	10,369	7911	3,046	909	2,137	914	340	574
कुल		**2,05,562**	**1,55,750**	**49,812**	**33,492**	**23,997**	**9,495**	**8,812**	**5,462**	**3,350**

* 31 मार्च 2015 को आंकड़े

अनुबंध - 3.2

(पैरा - 3.4 के संदर्भ में)

राज्यों/यूटी में एससी, पीएचसी और सीएचसी के निर्माण का विवरण

क्र. सं	राज्य	स्थापित स्वास्थ्य केंद्र की संख्या								
		एससी का निर्माण			पीएचसी का निर्माण			सीएचसी का निर्माण		
		टी	ए	एस	टी	ए	एस	टी	ए	एस
1.	आंध्र प्रदेश	318	233	85	249	163	86	3	3	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	129	129	0	3	3	0	0	0	0
3.	असम	626	165	461	65	4	61	55	9	46
4.	बिहार	119	5	114	90	1	89	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	158	75	83	1	0	1	0	0	0
6.	गुजरात	458	141	317	142	51	91	94	75	19
7.	हरियाणा	245	214	31	78	72	6	22	19	3
8.	हिमाचल प्रदेश	167	45	122	100	36	64	14	10	4
9.	जम्मू और कश्मीर	198	101	97	99	57	42	75	36	39
10.	झारखंड	665	416	249	16	2	14	4	2	2
11.	कर्नाटक	654	463	191	67	41	26	3	1	2
12.	केरल	100	89	11	0	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	310	231	79	12	5	7	13	9	4
14.	महाराष्ट्र	285	142	143	107	33	74	0	0	0
15.	मणिपुर	109	60	49	11	2	9	0	0	0
16.	मेघालय	49	46	3	6	2	4	0	0	0
17.	मिजोरम	60	60	0	1	1	0	0	0	0
18.	ओडिशा	1,323	831	492	100	70	30	123	120	3
19.	राजस्थान	927	580	347	109	55	54	2	2	0
20.	सिक्किम	1015	735	280	150	120	30	35	10	25
21.	तेलंगाना	192	134	58	101	90	11	4	0	4
22.	तमिलनाडु	178	167	11	215	151	64	129	108	21
23.	उत्तरांचल	6	5	1	1	1	0	3	3	0
24.	उत्तर प्रदेश	659	505	154	28	26	2	32	4	28
25.	पश्चिम बंगाल	613	517	96	79	38	41	122	84	38
कुल		**9,563**	**6,089**	**3,474**	**1,830**	**1,024**	**806**	**733**	**495**	**238**

टी: लक्ष्य

ए: उपलब्धि

एस: कमी

अनुबंध-3.3
(संदर्भ पैरा-3.4.4)
परित्यक्त/छोड़े गए निर्माण कार्य

क्र.सं.	राज्य	निर्माण कार्यों की संख्या	निर्माण कार्य का लागत (₹ करोड़ में)	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
1.	असम	1	1.31	0.53	दिसंबर 2011 में ₹130.70 लाख की लागत से पांडु एफआरयू में ग्रामीण स्वास्थ्य ब्लॉक पूलिंग कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हुआ, लेकिन बाड़ के निर्माण के बाद रेलवे अधिकारियों ने रेलवे भूमि को अवैध रूप से हथियाने का आरोप लगाया और तत्काल काम बंद करने को कहा, जो नहीं हुआ। अंततः 40 प्रतिशत काम पूरा करने और ₹26.27 लाख का भुगतान करने के बाद किये गये कार्य के मूल्य के प्रति ₹26.27 लाख की अन्य राशि की प्रतिबद्ध देयता को छोड़कर, माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायलय के अंतरिम आदेश के आधार पर काम बंद कर दिया गया (नवंबर 2014)। इसके परिणामस्वरूप ₹52.54 लाख (देयता राशि सहित) की राशि के व्यय के बाद अवसंरचना को छोड़ दिया गया।
2.	गुजरात	1	0.61	0	वर्ष 2012-13 के लिए पीएचसी, मोयाद (तालुका प्रांतिज) में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का कार्य एक एजेंसी को ₹0.61 करोड़ की लागत से मई 2014 में पूरा होने की निर्धारित तारीख के साथ प्रदान किया गया था (अगस्त 2013)। पहुँच सड़क की गैर-उपलब्धता के कारण, इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिली थी (जनवरी 2016)। एजेंसी को काम से हटा दिया गया था (जुलाई 2016) और अंततः कार्य छोड़ दिया गया था। उपयुक्त भूमि का अधिग्रहण प्रगति पर था कहा गया था। (अगस्त 2016)।
3.	जम्मू एवं कश्मीर	1	0.50	0.44	उधमपुर जिले में एससी चरत का निर्माण ₹49.50 लाख की अनुमानित लागत पर बिना प्रशासनिक अनुमोदन के तथा बिना उचित अधिग्रहण और विभाग के पक्ष में भूमि के शीर्षक के हस्तांतरण के किया गया था। ₹43.50 लाख का व्यय करने तथा आरएंडबी मंडल, उधमपुर के माध्यम से 2014-15 को प्लिंथ स्तर तक कार्य करने के बाद, भूमि

					विवाद तथा बाद में न्यायलय के रोक के कारण निर्माण कार्य छोड़ दिया गया था (जुलाई 2014)।
4.	कर्नाटक	17	3.42	0.40	2011-13 के दौरान अनुमोदित 586 एससी के संबंध में, जगह की समस्याओं के कारण 17 निर्माण कार्य छोड़ दिए गए थे।
5.	मणिपुर	2	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	सीएचसी माओ, सेनापति जिला के पूर्वी हिस्से पर पुश्ते की दीवार का निर्माण, 2011 से परित्यक्त पड़ा है। पीएचएससी मराम खुल्लन में संस्थागत भवन (आईबी) के लिए निर्माण कार्य बिना किसी देखभाल के अधूरा रह गया था और इस तरह से, भवन खराब होना शुरू हो गया था। वर्तमान में, यह पीएचएससी पुरानी लकड़ी के भवन से काम कर रहा है क्योंकि नई भवन पूरी नहीं बन पाई थी।
कुल		**22**			

अनुबंध -3.4
(पैरा - 3.5 के संदर्भ में)
स्वास्थ्य सुविधाओं में कर्मचारी आवास की कमी

क्र.सं	स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रकार	कर्मचारी आवास की उपलब्धता
1.	उप-केंद्र	➢ आठ राज्यों (छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड) के 68 एससी (टाइप 'बी') में कोई स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध नहीं था। ➢ 538 कर्मचारी आवास की आवश्यकता के मुकाबले 10 राज्यों (छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश) के 248 एससी (टाइप 'बी') में, **182** क्वार्टर उपलब्ध थे (66 प्रतिशत की कमी)। ➢ सात राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड) में 182 उपलब्ध कर्मचारी क्वार्टर में से, **81** कर्मचारी क्वार्टर खाली हैं।
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	➢ 15 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के 125 पीएचसी में कोई कर्मचारी आवास उपलब्ध नहीं था। ➢ 22 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के 441 पीएचसी मे 4109 कर्मचारी आवास की आवश्यकता के तुलना में, केवल 1087 ही उपलब्ध थे (74 प्रतिशत की कमी)। ➢ 20 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल) मे 1087 कर्मचारी आवास में से 274 कर्मचारी आवास खाली थे।
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	➢ 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) के 36 सीएचसी में कोई कर्मचारी आवास उपलब्ध नहीं था। ➢ 21 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के 241 सीएचसी मे, 7,588 आवास की आवश्यकता के मुकाबले, 2,542 उपलब्ध थे (66 प्रतिशत की कमी)। ➢ 18 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) मे उपलब्ध 2,542 कर्मचारी आवास में से 451 कर्मचारी आवास रिक्त हैं।

4.	जिला अस्पताल	➢ छह राज्यों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) के 10 जिला अस्पतालओं में, कोई कर्मचारी आवास उपलब्ध नहीं था। ➢ 21 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के 111 जिला अस्पतालओं मे, 13,315 आवास की आवश्यकता के मुकाबले, 2,846 उपलब्ध थे (79 प्रतिशत कमी)। ➢ 15 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में उपलब्ध 2,846 कर्मचारी आवास में से 229 स्टाफ क्वार्टर रिक्त हैं।

अनुबंध-4.1

(पैरा-4.3 के संदर्भ मे)

स्वास्थ्य केंद्रों में बेकार/अनुपयोगी उपकरण के राज्यवार विवरण

क्र.सं	राज्य	बेकार/अनुपयोगी उपकरण के विवरण	बेकार पड़े उपकरण की संख्या	किया गया व्यय (₹ करोड़)
1.	आंध्र प्रदेश	जिला अस्पताल, एलुरु में उपकरण	50	0.22
2.	असम	यूएसजी कलर डॉपलर मशीन और एकल पंचर लैप्रोस्कोपिक सेट	26	1.99
3.	छत्तीसगढ़	नौ उपकरण	9	0.47
4.	गुजरात	माइक्रो बायोलॉजी लैबोरेटरी, मल्टीपारा कार्डिएक मॉनिटर और ऑटोमेटेड एक्सटरनल डेफिब्रिलेटर के लिए जैव सुरक्षा कैबिनेट[4], आसान निदान मशीन, एक्सरे मशीन, दंत कुर्सी आदि	13	0.27
5.	हरियाणा	चिकित्सा उपकरण, एक्स-रे मशीन	49	3.76
6.	हिमाचल प्रदेश	अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्स-रे मशीन, डिजिटल ईसीजी मशीन, चेस्ट स्टैंड ड्रायर	4	0.19
7.	जम्मू और कश्मीर	अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासाउंड, स्कैनर सामान थर्मल प्रिंटर और पूरे शरीर मल्टी स्लाइस स्कैनर	5	5.21
8.	झारखंड	स्व विश्लेषक, पाथ फास्ट, तीन चैनल ईसीजी मशीनें, आदि।	26	3.05
9.	कर्नाटक	एक्स-रे उपकरण, ईसीजी मशीन, रक्त भंडारण इकाइयों, आदि।	18	0.29
10.	मेघालय	ईनसिनेटर, ओटी उपकरण और सर्जिकल सेट	2	0.19
11.	पंजाब	बंध्याकरण के लिए लैप्रोस्कोप	1	0.12
12.	राजस्थान	नेत्र उपकरण, वेंटिलेटर, आईसीयू वार्ड के उपकरण आदि	8	1.34
13.	तमिलनाडु	एक्स-रे उपकरण	2	0.04
14.	तेलंगाना	डीएच, नलगोंडा में एसएनसीयू में ट्रांसपोर्ट इनक्यूबेटर	1	0.02
15.	त्रिपुरा	लैप्रोस्कोप मशीन	5	0.35
16.	उत्तराखंड	सीटी स्कैन मशीन, विद्युत चुम्बकीय शॉक वेव, रेडियो मीटर, आदि	14	8.79
17.	पश्चिम बंगाल	नए जन्म स्थिरीकरण इकाई, रक्त भंडारण इकाइयों, आदि	195	4.09
कुल			**428**	**30.39**

[4] जैव सुरक्षा कैबिनेट संचालक, प्रयोगशाला के वातावरण और कार्य सामग्री को संक्रामक एरोसोल और छिड़काव के संपर्क में आने से सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है जो संक्रामक एजेंटों जैसे कि प्राथमिक संस्कृतियों, भंडारों और निदान नमूने आदि युक्त सामग्री में परिवर्तन कर सकता है।

अनुबंध-4.2
(संदर्भ पैरा-4.6)
रोगियों को समाप्त अवधि/निम्नमानक दवाओं के वितरण का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्ति
1.	**असम**	➢ अप्रैल 2014 और जून 2014 के दौरान केंद्रीय भंडार, गुवाहाटी में 6.22 करोड़ आईएफए गोलियों (छोटी) की, फरवरी 2016 तक एक शेल्फ-आयु थी। इनमें से, ₹48.52 लाख मूल्य की 1.94 करोड़ गोलियों की अवधि शेल्फ-आयु के भीतर जारी नहीं करने के कारण समाप्त हो गयी थी। यह देखा गया था कि राज्य स्तर पर लाभार्थियों के प्रक्षेपित अनुमान के आधार पर जिलों से आवश्यकताएं प्राप्त किए बिना खरीद की गई थी। ➢ 16 स्वास्थ्य केंद्रों[5] में ₹51.15 लाख की लागत की 67 दवाओं की अवधि 2011-16 के दौरान समाप्त हो गईं थी। ➢ स्वास्थ्य केंद्रों ने बताया कि इंडेंट के बिना मांग के प्रति अधिक आपूर्ति के कारण तथा छोटी जीवन-काल की दवाओं की आपूर्ति के कारण दवाओं की अवधि समाप्त हो गई थीं।
2.	**बिहार**	दवाओं के गुणवत्ता परीक्षण की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी और दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना रोगियों को दवाइयों का वितरण किया गया था।
3.	**हरियाणा**	➢ सितंबर और अक्टूबर 2014 के दौरान परीक्षण के लिए दवाओं के 17 नमूनों को प्रयोगशाला में भेजा गया था। हालांकि, 13 नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट देर से प्राप्त हुई या प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि, कमी के कारण इन 13 नमूनों को वितरण के लिए जारी किया गया था। ➢ जून 2013 और दिसंबर 2015 के बीच प्राप्त हुई दवाओं के 26 बैचों को मानक गुणवत्ता के नहीं घोषित किया गया था। ➢ ₹38.21 लाख की लागत वाली आठ दवाओं के नमूनों जिनमें प्रयोगशाला द्वारा मानक गुणवत्ता की घोषणा नहीं की गई, ₹6.99 लाख की दवाएं पहले ही मरीजों के वितरण के लिए गोदामों द्वारा वितरित की जा चुकी थीं। ➢ ₹2.33 करोड़ की समाप्त अवधि की दवाइयां पूरे राज्य में दवा भंडारगृहों में 19 से 811 दिन (जुलाई 2016 तक) के बीच की अवधि के लिए पड़ी थीं। नीति के अनुसार आपूर्तिकर्ता को अवधि समाप्ति के छह महीने पहले सूचित किया जाना चाहिए था, लेकिन दवाओं को बदलने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी परिणामस्वरूप इन समाप्त अवधि की दवाओं की लागत विभाग द्वारा वहन की गई।
4.	**झारखंड**	नमूना जांच सीएचसी (जामा तथा शिकारीपारा) में 2,813 साहियों[6] को वितरण (पाँच बोतल/साहिया) हेतु जून 2015 में दुमका में प्राप्त ₹1.54 लाख की लागत की

[5] कामरूप डीएच, कार्बी एंग्लांग डीएच, गोलाघाट डीएच; लिंगीरपुखुरी एसडीसीएच, हैमरेन एसडीसीएच, एज़ारा सीएचसी, सिपाझार सीएचसी, सोलाकुची सीएचसी, बोकोटा पीएचसी, गोरोल एमपीएचसी, गीलेकी पीएचसी, हजारीकापारा पीएचसी, जोलजोली पीएचसी, झारबाड़ी एसडी, कुल्शी एसडी और रंगमती एमपीएचसी

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्ति
		पैरासिटामोल सिरप के 125 एमजी/5 एमएल (60 एमएल की प्रत्येक बोतल) की 14,052 बोतलों में से, 9,028 बोतलों को राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रांची (नवंबर 2015) के परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नस्तरीय पाया गया था।। ये दवाएं जून-जुलाई 2015 के दौरान आपूर्ति की गई थीं, अर्थात्, परीक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से 4-5 महीने पहले।
5.	**कर्नाटक**	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान गोदामों से प्राप्त दवाओं के 8,356 बैचों में से केवल 4,444 बैचों (53 प्रतिशत) का परीक्षण किया गया था। दवाओं के 105 बैचों की यादृच्छिक परीक्षण जांच से पता चला कि जब नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए थे, तब तक 10 बैचों के संबंध में भंडार के 20 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं को जारी किया जा चुके थे।
6.	**केरल**	➢ 2011-16 के दौरान, गुणवत्ता परीक्षण के लिए सूचीबद्ध प्रयोगशाला को भेजे गए दवाओं के 30,767 बैचों में से, 364 को मानक गुणवत्ता के न होने की घोषणा की गई थी। यद्यपि प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर एनएसक्यू की दवाएं बाद में फ्रोजेन थीं, ऐसे एनएसक्यू दवाओं को रोगियों को प्रशासन और वितरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सका क्योंकि ये दवाइयां पहले ही स्वास्थ्य सुविधाओं को आपूर्ति की जा चुकी थीं। ➢ 2014-16 के दौरान, गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजे गए 2,017 बैचों में से, प्रयोगशालाएं निर्धारित समय के भीतर परीक्षण परिणाम प्रस्तुत करने में विफल रही और 248 बैचों के संबंध में, एक माह से लेकर 318 दिन तक का विलंब हुआ था।
7.	**महाराष्ट्र**	दो नमूना जांच जिलों (भंडारा और नांदेड़) में, 14 दवाओं (मात्रा 1.71 लाख) को उनके आरएच और एसडीएच को आपूर्ति किये जाने के छह से सात महीने के बाद निम्नमानक घोषित किया गया था। परिणामस्वरूप, दवाइयां मरीजों को भी जारी की जा चुकी थीं।
8.	**मणिपुर**	डीएचएस, उखुल के भंडार के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि उचित लेबलिंग (बैच संख्या और समाप्ति तिथि) के बिना भंडारगृह में दवाएं रखी गई थीं। यह पाया गया कि 9 प्रकार की दवाइयां (3,285 इकाइयां) समाप्ति अवधि के बाद की मिलीं।
9.	**ओड़िशा**	➢ 2011-16 के दौरान, सात डीएचएच में से पांच में तथा 21 नमूना सीएचसी में से चार में, परीक्षण तथा एसडीएमयू से परीक्षण रिपोर्टों की प्राप्ति में विलंब के कारण, सितंबर 2011 से दिसंबर 2015 के दौरान ₹11.79 लाख मूल्य की 29 प्रकार की एनएसक्यू दवाएं रोगियों को दी गयीं। ➢ 2006-16 के दौरान प्राप्त 9 आपूर्तिकर्ताओं से ₹70.93 लाख मूल्य की दवाएं एनएसक्यू घोषित की गई थीं। यद्यपि, एसडीएमयू ने 15 से 243 दिनों के भीतर इन दवाइयों को बदलने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया था, जुलाई 2016 तक दवाओं को बदला नहीं गया था।

[6] झारखंड में, आशा के लिए प्रकल्पित एक वैकल्पिक नाम सहिया है।

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्ति
		➢ इसी प्रकार, सात नमूना जिलों में से छः में, ₹53.83 लाख मूल्य की एनएसक्यू दवाएं जिलों के केंद्रीय भंडार तथा सीएचसी में बिना बदले जुलाई 2016 तक अप्रयुक्त पड़े थे। एसडीएमयू ने सीडीएमओ को आपूर्तिकर्ताओं को एनएसक्यू दवाओं को वापस करने के लिए निर्देश नहीं दिया था। एसडीएमयू की ओर से दवा प्रबंधन नीति के प्रावधानों को लागू करने में चूक के कारण, ₹53.83 लाख व्यर्थ हो गए।
10.	**पंजाब**	एससी, बुद्ध सिंह वाला, जिला मोगा के भौतिक सत्यापन के दौरान, (मई 2016) यह पाया गया कि अप्रैल 2016 तक की समाप्ति तिथि वाली 'एरीथ्रोमाइंस्टारेट' गोलियां आईपी 250 एमजी (बैच सं. बीटी 40,180) दवाईयां रोगियों को देने/वितरण हेतु प्रयोग की जाने वाली दवा ट्रे में पड़ी थीं। एमडी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2016) कि दवाओं और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम/दिशानिर्देशों के अंतर्गत समाप्त अवधि की दवाईयों को निपटाए जाने का आदेश दिया गया था।
11.	**तेलंगाना**	➢ "हाइड्रोकार्टरिसोन सस्सिनेट" के 5,200 इंजेक्शन को 2015 में टीएसएमएसआईडीसी द्वारा नालगोंडा जिले में स्वास्थ्य संस्थानों को जारी किया गये थे। यद्यपि, बाद में गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण में विफलता पर इंजेक्शन को अस्वीकृत कर दिया गया था। यह पाया गया कि स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा केवल 712 इंजेक्शन लौटाए गए थे। शेष 4,488 इंजेक्शन न तो प्राप्त हुए थे और न ही उनके निपटान का विवरण उपलब्ध था। इसे ध्यान में रखते हुए, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या इंजेक्शन लाभार्थियों द्वारा उपयोग किया गया था या नष्ट किया गया था। ➢ रोगियों को वितरित किए जाने के बाद रैंटैक 150 एमजी गोलियों (10,000) के बैच पर गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण किए गए थे।
12.	**त्रिपुरा**	जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 के बीच एक फर्म द्वारा आपूर्ति की गईं 2.18 करोड़ आईएफए (बड़ी) और 1.84 करोड़ आईएफए (छोटी) गोलियां सितंबर 2012 से नवंबर 2012 के दौरान स्कूल के बच्चों को वितरण के लिए जारी की गई थीं। यद्यपि, नमूना गुणवत्ता जांच से पता चला कि ये दवाएं निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं थीं। सभी सीएमओ, एसडीएमओ और एमआईसी को उपयोग नहीं करने तथा स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों से गोलियों के वापसी के आदेश जारी किए गए थे (दिसंबर 2013)। तदनुसार, 12.16 लाख गोलियों को दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 के दौरान केंद्रीय भंडार में वापस लौटा दिया गया था। आगे यह भी पाया गया कि, 14.20 लाख गोलियां स्कूल के बच्चों को वितरित किए गए थे और संभवतः उपयोग किए गए थे।
13.	**उत्तर प्रदेश**	2011-16 के दौरान नमूना जांच जिलों में (बदांयूं, जालौन और मुजफ्फरनगर को छोड़कर), ₹53.49 करोड़ मूल्य की दवाओं तथा उपभोग्य वस्तुओं की खरीद हुई थी, यद्यपि, गुणवत्ता के लिए ये परीक्षण नहीं किए गए थे। इस प्रकार, दवाओं तथा उपभोग्य वस्तुओं को उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना रोगियों को जारी किया गया था। सीएमओ ने उत्तर दिया कि आरसी फर्म ने उनके द्वारा किए गए आपूर्ति के संबंध में एनएबीएल की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यद्यपि, नमूनाकृत

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्ति
		जिलों के रिकॉर्ड में कोई गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट नहीं मिली।
14.	**पश्चिम बंगाल**	2011-16 के दौरान, दो चयनित जिलों में, निम्नमानक दवाइयों के सात बैचों (पश्चिम मेदिनीपुर जिला-चार, मुर्शिदाबाद चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल-तीन) को रोगियों को परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के समय तक दिया किया गया था। इसके अतिरिक्त, मुर्शिदाबाद में जिला आरक्षित भंडार ने 2011-14 के दौरान परीक्षण के लिए किसी भी बैच को नहीं भेजा था।

अनुबंध - 5.1.1
(पैरा - 5.2 के संदर्भ)
जिला अस्पताल में डॉक्टरों/विशेषज्ञों की स्थिति

क्र.सं	राज्य	लेखापरीक्षित जिला अस्पताल	आईपीएचएस - 2012 के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यक संख्या	सुविधाओं की स्वीकृत क्षमता	तैनाती की स्थिति	आईपीएचएस के विरुद्ध कमी (-)/अतिरिक्त (+)	स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध कमी (-)/अतिरिक्त (+)
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	58	39	21	-37	-18
2.	आंध्र प्रदेश	3	113	72	78	-35	6
3.	बिहार	10	290	299	133	-157	-166
4.	छत्तीसगढ़	4	116	119	101	-15	-18
5.	गुजरात	3	110	90	71	-39	-19
6.	हरियाणा	2	58	97	67	9	-30
7.	हिमाचल प्रदेश	3	118	112	92	-26	-20
8.	जम्मू और कश्मीर	4	116	158	102	-14	-56
9.	झारखंड	5	145	86	62	-83	-24
10.	कर्नाटक	5	145	127	80	-65	-47
11.	केरल	2	87	63	57	-30	-6
12.	मध्य प्रदेश	10	290	547	307	17	-240
13.	महाराष्ट्र	3	127	150	106	-21	-44
14.	मणिपुर	2	58	100	41	-17	-59
15.	मेघालय	3	87	48	36	-51	-12
16.	ओडिशा	7	254	272	171	-83	-101
17.	पंजाब	3	87	76	63	-24	-13
18.	राजस्थान	7	203	329	164	-39	-165
19.	सिक्किम	2	58	58	65	7	7
20.	तमिलनाडु	3	97	122	83	-14	-39
21.	तेलंगाना	3	103	76	55	-48	-21
22.	उत्तर प्रदेश	20	580	396	286	-294	-110
23.	उत्तराखंड	5	145	67	57	-88	-10
कुल		**111**	**3,445**	**3,503**	**2,298**	**-1,147**	**-1,205**

अनुबंध - 5.1.2

(पैरा - 5.2 के संदर्भ मे)

जिला अस्पताल में कर्मचारी नर्सों की स्थिति

क्र.सं	राज्य/यूटी	लेखापरीक्षित जिला अस्पताल	आईपीएचएस - 2012 के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यक संख्या	सुविधाओं की स्वीकृत क्षमता	तैनाती की स्थिति	आईपीएचएस के विरुद्ध कमी (-)/अतिरिक्त (+)	स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध कमी (-)/अतिरिक्त (+)
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	90	76	33	-57	-43
2.	आंध्र प्रदेश	3	270	154	132	-138	-22
3.	बिहार	10	450	483	259	-191	-224
4.	छत्तीसगढ़	4	180	164	136	-44	-28
5.	गुजरात	3	153	158	135	-18	-23
6.	हरियाणा	2	90	75	67	-23	-8
7.	हिमाचल प्रदेश	3	315	118	130	-185	12
8.	जम्मू और कश्मीर	4	180	102	68	-112	-34
9.	झारखंड	5	45	22	39	-6	17
10.	कर्नाटक	5	225	333	233	8	-100
11.	केरल	2	225	201	197	-28	-4
12.	मध्य प्रदेश	10	450	1026	844	394	-182
13.	महाराष्ट्र	3	235	356	317	82	-39
14.	मणिपुर	2	90	68	29	-61	-39
15.	मेघालय	3	135	99	98	-37	-1
16.	ओडिशा	7	630	252	268	-362	16
17.	पंजाब	3	135	159	103	-32	-56
18.	राजस्थान	7	315	552	482	167	-70
19.	सिक्किम	2	90	90	37	-53	-53
20.	तेलंगाना	3	225	164	158	-67	-6
21.	तमिलनाडु	3	225	175	169	-56	-6
22.	उत्तर प्रदेश	20	900	467	402	-498	-65
23.	उत्तराखंड	5	225	85	69	-156	-16
कुल		**111**	**5,878**	**5,379**	**4,405**	**-1,473**	**-974**

अनुबंध - 5.1.3

(पैरा - 5.2 के संदर्भ मे)

जिला अस्पताल में पराचिकित्सा कर्मचारी की स्थिति

क्र.सं	राज्य/यूटी	लेखापरीक्षित जिला अस्पताल	आईपीएचएस - 2012 के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यक संख्या	सुविधाओं की स्वीकृत क्षमता	तैनाती की स्थिति	आईपीएचएस के विरुद्ध कमी (-)/अतिरिक्त (+)	स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध कमी (-)/अतिरिक्त (+)
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	62	29	23	-39	-6
2.	आंध्र प्रदेश	3	139	51	51	-88	0
3.	बिहार	10	310	190	82	-228	-108
4.	छत्तीसगढ़	4	124	57	63	-61	6
5.	गुजरात	3	134	49	41	-93	-8
6.	हरियाणा	2	62	79	33	-29	-46
7.	हिमाचल प्रदेश	3	150	88	76	-74	-12
8.	जम्मू और कश्मीर	4	124	126	109	-15	-17
9.	झारखंड	5	31	26	25	-6	-1
10.	कर्नाटक	5	155	135	81	-74	-54
11.	केरल	2	97	34	37	-60	3
12.	मध्य प्रदेश	10	310	232	171	-139	-61
13.	महाराष्ट्र	3	111	100	70	-41	-30
14.	मणिपुर	2	62	76	52	-10	-24
15.	मेघालय	3	93	20	34	-59	14
16.	ओडिशा	7	312	176	154	-158	-22
17.	पंजाब	3	93	63	54	-39	-9
18.	राजस्थान	7	217	232	87	-130	-145
19.	सिक्किम	2	62	62	69	7	7
20.	तमिलनाडु	3	115	107	62	-53	-45
21.	तेलंगाना	3	115	56	41	-74	-15
22.	उत्तर प्रदेश	20	620	257	205	-415	-52
23.	उत्तराखंड	5	155	70	59	-96	-11
	कुल	**111**	**3,653**	**2,315**	**1,679**	**-1,974**	**-636**

अनुबंध - 5.2

(पैरा - 5.3 के संदर्भ)

उप-जिला/उप-डिवीजनल अस्पताल में चिकित्सकों/विशेषज्ञों, कर्मचारी नर्स और पराचिकित्सा की स्थिति, स्टाफ नर्स और पराचिकित्सा कर्मचारी

क्र. सं	राज्य	लेखापरीक्षित उपजिला अस्पताल	आईपीएचएस - 2012 के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यक संख्या	सुविधाओं की स्वीकृत क्षमता	तैनाती की स्थिति	आईपीएचएस के विरुद्ध कमी (-)/अतिरिक्त (+)	स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध कमी (-)/अतिरिक्त (+)
चिकित्सकों/विशेषज्ञों							
1	आंध्र प्रदेश	4	80	36	38	-42	2
2	बिहार	6	120	147	50	-70	-97
3	गुजरात	1	20	25	15	-5	-10
4	हिमाचल प्रदेश	6	72	33	25	-47	-8
5	झारखंड	1	20	11	6	-14	-5
6	कर्नाटक	10	200	120	59	-141	-61
7	महाराष्ट्र	8	160	121	102	-58	-19
8	तमिलनाडु	1	18	10	8	-10	-2
9	तेलंगाना	4	80	47	47	-33	0
10	उत्तराखंड	2	40	**30**	**19**	-21	-11
	कुल	**43**	**810**	**580**	**369**	**-441**	**-211**
कर्मचारी नर्स							
1	आंध्र प्रदेश	4	80	36	38	-42	2
2	बिहार	6	108	260	82	-26	-178
3	गुजरात	1	18	78	53	35	-25
4	हिमाचल प्रदेश	6	60	28	31	-29	3
5	झारखंड	1	18	6	3	-15	-3
6	कर्नाटक	10	180	176	130	-50	-46
7	महाराष्ट्र	8	144	153	134	-10	-19
8	तमिलनाडु	1	18	6	5	-13	-1
9	तेलंगाना	4	72	91	81	9	-10
10	उत्तराखंड	2	36	35	30	-6	-5
	कुल	**43**	**734**	**869**	**587**	**-147**	**-282**
पराचिकित्सा कर्मचारी							
1	आंध्र प्रदेश	4	180	104	91	-89	-13
2	बिहार	6	162	153	51	-111	-102
3	गुजरात	1	27	15	10	-17	-5
4	हिमाचल प्रदेश	6	66	42	30	-36	-12
5	झारखंड	1	27	12	4	-23	-8

6	कर्नाटक	10	270	162	66	-204	-96
7	महाराष्ट्र	8	216	153	122	-94	-31
8	तमिलनाडु	1	22	7	3	-19	-4
9	तेलंगाना	4	108	44	39	-69	-5
10	उत्तराखंड	2	54	24	21	-33	-3
	कुल	**43**	**1,132**	**716**	**437**	**-695**	**-279**

अनुबंध - 5.3
(पैरा - 5.4 के संदर्भ में)
बिना विशेषज्ञ चिकित्सकों के सीएचसी का कार्य करना

क्र.सं.	राज्य/यूटी	लेखापरीक्षित सीएचसी की संख्या	सामान्य शल्य चिकित्सक	प्रतिशत	सामान्य चिकित्सक	प्रतिशत	प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ	प्रतिशत	बच्चों का चिकित्सक	प्रतिशत	निश्चेतक	प्रतिशत
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100
2.	आंध्र प्रदेश	5	4	80	2	40	3	60	2	40	2	40
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	4	66.66	4	66.66	5	83.33	5	83.33	4	66.66
4.	असम	9	8	88.88	8	66.66	6	66.66	8	88.88	6	66.66
5.	बिहार	13	8	61.53	8	61.53	10	76.92	10	76.92	11	84.61
6.	छत्तीसगढ़	8	8	100	8	100	8	100	7	87.5	8	100
7.	गुजरात	12	10	83.33	10	83.33	10	83.33	10	83.33	10	83.33
8.	हिमाचल प्रदेश	6	6	100	6	100	6	100	6	100	5	83.33
9.	जम्मू और कश्मीर	8	3	37.5	6	75	3	37.5	3	37.5	4	50
10.	झारखंड	12	11	91.66	10	83.33	11	91.66	10	83.33	12	100
11.	कर्नाटक	19	19	100	17	89.47	10	52.63	17	89.47	16	84.21
12.	केरल	9	8	88.88	8	88.88	8	88.88	8	88.88	8	88.88
13.	मध्य प्रदेश	21	20	95.23	18	85.71	18	85.71	19	90.47	21	100
14.	महाराष्ट्र	9	9	100	8	88.88	7	77.77	8	88.88	8	88.88
15.	मणिपुर	3	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100
16.	मेघालय	3	3	100	2	66.66	3	100	3	100	3	100
17.	मिजोरम	2	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100
18.	ओडिशा	21	9	43.00	17	80.95	12	57.14	18	85.71	21	100
19.	पंजाब	8	7	87.5	8	100	8	100	8	100	8	100
20.	राजस्थान	15	10	66.66	8	53.33	11	73.33	12	80	13	86.66
21.	सिक्किम	1	1	100	1	100	1	100	1	100	0	0

क्र.सं.	राज्य/यूटी	लेखापरीक्षित सीएचसी की संख्या	सामान्य शल्य चिकित्सक	*प्रतिशत*	सामान्य चिकित्सक	*प्रतिशत*	प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ	*प्रतिशत*	बच्चों का चिकित्सक	*प्रतिशत*	निश्चेतक	*प्रतिशत*
22.	तमिलनाडु	6	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
23.	त्रिपुरा	2	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100
24.	उत्तर प्रदेश	28	24	85.71	26	92.85	20	71.42	25	89.28	24	85.71
25.	उत्तराखंड	4	3	75	4	100	4	100	3	75	4	100
26.	पश्चिम बंगाल	11	11	100	11	100	8	72.72	11	100	11	100
27.	तेलंगाना	5	5	100	3	60	3	60	2	40	2	40
कुल		**248**	**206**	**83.06**	**208**	**83.06**	**190**	**76.61**	**211**	**85.08**	**216**	**87.09**

अनुबंध - 5.4
(पैरा - 5.4 के संदर्भ में)
पैरामीडिकल स्टाफ के बिना काम कर रहे सीएचसी

प्रयोगशाला तकनीशियन				फार्मेसिस्ट			
क्र.सं	राज्य	लेखापरीक्षित सीएचसी की संख्या	प्रयोगशाला तकनीशियन के बिना सीएचसी की संख्या	क्र.सं	राज्य	लेखापरीक्षित सीएचसी की संख्या	फार्मेसिस्ट के बिना कार्यरत सीएचसी की संख्या
1.	गुजरात	12	3	1.	अरुणाचल प्रदेश	6	2
2.	हरियाणा	7	3	2.	गुजरात	12	3
3.	हिमाचल प्रदेश	6	3	3.	हरियाणा	7	2
4.	झारखंड	12	1	4.	हिमाचल प्रदेश	6	2
5.	कर्नाटक	19	1	5.	जम्मू और कश्मीर	8	1
6.	महाराष्ट्र	9	2	6.	महाराष्ट्र	9	1
7.	ओडिशा	21	3	7.	झारखंड	12	4
8.	राजस्थान	15	3	8.	कर्नाटक	19	2
9.	उत्तर प्रदेश	28	6	9.	मध्य प्रदेश	21	2
10.	उत्तराखंड	4	1	10	राजस्थान	15	5
11.	पश्चिम बंगाल	11	2	11	उत्तर प्रदेश	28	5
	कुल	**144**	**28**	12	पंजाब	8	1
					कुल	**151**	**30**

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)				सांख्यिकीय सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटर			
क्र.सं	राज्य	लेखापरीक्षित सीएचसी की संख्या	एचडब्ल्यू (एम) के बिना कार्यरत सीएचसी की संख्या	क्र.सं	राज्य	लेखापरीक्षित सीएचसी की संख्या	सांख्यिकीय सहायक/ डाटा एंट्री ऑपरेटर के बिना कार्यरत सीएचसी की संख्या
1.	असम	9	9	1.	अरुणाचल प्रदेश	6	2
2.	गुजरात	12	12	2.	असम	9	2
3.	हरियाणा	7	2	3.	छत्तीसगढ़	8	3
4.	हिमाचल प्रदेश	6	1	4.	गुजरात	12	3
5.	जम्मू और कश्मीर	8	2	5.	हरियाणा	7	4
6.	झारखंड	12	12	6.	हिमाचल प्रदेश	6	2
7.	कर्नाटक	19	19	7.	जम्मू और कश्मीर	8	4
8.	मध्य प्रदेश	21	9	8.	झारखंड	12	2

9.	महाराष्ट्र	9	3	9.	कर्नाटक	19	16
10.	मणिपुर	3	2	10.	मध्य प्रदेश	21	1
11.	मेघालय	3	1	11.	महाराष्ट्र	9	4
12.	मिजोरम	2	2	12.	मणिपुर	3	1
13.	ओडिशा	21	9	13.	मेघालय	3	3
14.	राजस्थान	15	7	14.	ओडिशा	21	13
15.	उत्तर प्रदेश	28	13	15.	राजस्थान	15	6
16.	उत्तराखंड	4	4	16.	उत्तर प्रदेश	28	3
17.	पश्चिम बंगाल	11	9	17.	उत्तराखंड	4	1
कुल		**190**	**116**	**कुल**		**191**	**70**

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)				स्वास्थ्य सहायक (महिला)/महिला स्वास्थ्य परिदर्शक			
क्र. सं.	राज्य	लेखापरीक्षित सीएचसी की संख्या	एचड्ब्लू (महिला) के बिना सीएचसी की संख्या	क्र.सं.	राज्य/यूटी	लेखापरीक्षित सीएचसी की संख्या	एचए(एफ)/एलएचवी के बिना सीएचसी की संख्या
1.	असम	9	7	1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	2
2.	गुजरात	12	12	2.	असम	9	5
3.	हरियाणा	7	2	3.	छत्तीसगढ़	8	2
4.	हिमाचल प्रदेश	6	2	4.	गुजरात	12	12
5.	झारखंड	12	11	5.	हरियाणा	7	2
6.	कर्नाटक	19	19	6.	हिमाचल प्रदेश	6	4
7.	महाराष्ट्र	9	2	7.	जम्मू और कश्मीर	8	1
8.	मिजोरम	2	2	8.	झारखंड	12	11
9.	ओडिशा	21	3	9.	कर्नाटक	19	19
10.	राजस्थान	15	4	10	मध्य प्रदेश	21	2
11.	उत्तर प्रदेश	28	8	11	महाराष्ट्र	9	2
12.	पश्चिम बंगाल	11	7	12	मेघालय	3	2
कुल:		**151**	**78**	13	मिजोरम	2	2
				14	ओडिशा	21	2
				15	राजस्थान	15	6
				16	त्रिपुरा	2	1
				17	उत्तर प्रदेश	28	8
				18	उत्तराखंड	4	1
				19	पश्चिम बंगाल	11	7
				कुल		**199**	**91**

अनुबंध - 5.5
(पैरा - 5.4 के संदर्भ में)
सीएचसी में स्टाफ नर्सों की उपलब्धता

क्र.सं	राज्य/यूटी	लेखापरीक्षित सीएचसी की संख्या	आईपीएचएस -2012 के अनुसार कर्मचारी की अनिवार्य संख्या	सुविधाओं की संस्वीकृत क्षमता	कार्यरत कर्मचारी	आईपीएचएस के प्रति कमी(-) /आधिक्य(+)	स्वीकृत क्षमता के प्रति कमी(-) /आधिक्य(+)
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	20	16	25	5	9
2.	आंध्र प्रदेश	5	50	37	26	-24	-11
3.	बिहार	13	130	114	80	-50	-34
4.	छत्तीसगढ़	8	80	80	47	-33	-33
5.	गुजरात	12	120	88	78	-42	-10
6.	हरियाणा	7	70	58	35	-35	-23
7.	हिमाचल प्रदेश	6	60	28	31	-29	3
8.	जम्मू और कश्मीर	8	80	63	42	-38	-21
9.	झारखंड	12	120	52	35	-85	-17
10.	कर्नाटक	19	190	119	89	-101	-30
11.	केरल	9	90	65	63	-27	-2
12.	मध्य प्रदेश	21	210	81	118	-92	37
13.	महाराष्ट्र	9	90	51	44	-46	-7
14.	मणिपुर	3	30	24	22	-8	-2
15.	मेघालय	3	30	19	28	-2	9
16.	ओडिशा	21	210	79	77	-133	-2
17.	पंजाब	8	80	58	50	-30	-8
18.	राजस्थान	15	150	160	155	5	-5
19.	सिक्किम	1	10	10	1	-9	-9
20.	तमिलनाडु	6	60	24	24	-36	0
21.	तेलंगाना	5	50	28	27	-23	-1
22.	उत्तर प्रदेश	28	280	139	105	-175	-34
23.	उत्तराखंड	4	40	30	16	-24	-14
24.	पश्चिम बंगाल	11	110	117	85	-25	-32
	कुल	**236**	**2,360**	**1,540**	**1,303**	**-1,057**	**-237**

अनुबंध - 5.6
(पैरा - 5.5 के संदर्भ में)
लेखापरीक्षित पीएचसी में मानवशक्ति की स्थिति

क्र.सं	राज्य	लेखापरीक्षित पीएचसी की संख्या	पीएचसी की संख्या जहां वर्ष के दौरान न तो एलोपैथिक चिकित्सक और न ही आयुष चिकित्सक तैनात थे (संविदात्मक / स्थायी)
1.	आंध्र प्रदेश	18	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	2
3.	असम	30	8
4.	छत्तीसगढ़	16	6
5.	हरियाणा	12	2
6.	हिमाचल प्रदेश	12	1
7.	कर्नाटक	20	2
8.	मध्य प्रदेश	40	9
9.	ओडिशा	38	1
10.	पंजाब	12	1
11.	राजस्थान	30	4
12.	उत्तर प्रदेश	55	27
13.	उत्तराखंड	11	3
कुल		**305**	**67**

अनुबंध -5.7
(पैरा - 5.5 के संदर्भ में)
पीएचसी में नर्स-मिडवाइफ़ (स्टाफ नर्स) की स्थिति

क्र.सं	राज्य	लेखापरीक्षित पीएचसी की संख्या	आईपीएचएस -2012 के अनुसार कर्मचारी की अनिवार्य संख्या	सुविधाओं की संस्वीकृत क्षमता	कार्यरत कर्मचारी	आईपीएचएस के प्रति कमी(-)/आधिक्य(+)	स्वीकृत क्षमता के प्रति कमी(-)/आधिक्य(+)
1.	आंध्र प्रदेश	18	70	25	23	-47	-2
2.	छत्तीसगढ़	16	48	48	9	-39	-39
3.	गुजरात	12	36	29	18	-18	-11
4.	हरियाणा	12	38	46	36	-2	-10
5.	हिमाचल प्रदेश	12	36	6	9	-27	3
6.	जम्मू और कश्मीर	16	48	17	12	-36	-5
7.	झारखंड	23	69	51	38	-31	-13
8.	कर्नाटक	20	60	31	30	-30	-1
9.	केरल	12	36	25	24	-12	-1
10.	मध्य प्रदेश	40	120	37	27	-93	-10
11.	महाराष्ट्र	26	78	19	7	-71	-12
12.	मणिपुर	5	15	5	11	-4	6
13.	ओडिशा	38	114	13	7	-107	-6
14.	पंजाब	12	36	25	26	-10	1
15.	राजस्थान	30	90	55	49	-41	-6
16.	सिक्किम	4	12	12	2	-10	-10
17.	तमिलनाडु	12	36	36	32	- 4	-4
18.	तेलंगाना	18	54	29	26	-28	-3
19.	त्रिपुरा	7	21	49	22	1	-27
20.	उत्तर प्रदेश	55	165	45	20	-145	-25
21.	उत्तराखंड	11	33	6	4	-29	-2
22.	पश्चिम बंगाल	22	66	56	34	-32	-22
कुल		**421**	**1,281**	**665**	**466**	**-815**	**-199**

अनुबंध - 5.8
(पैरा - 5.5 के संदर्भ में)
पराचिकित्सक स्टाफ के बिना कार्यरत पीएचसी

क्र.सं	राज्य/यूटी	लेखापरीक्षित पीएचसी की संख्या	बिना कार्यरत पीएचसी					
			प्रयोगशाला तकनीशियन	फार्मासिस्ट	लेखाकार सह डेटा एंट्री ऑपरेटर	स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला)	स्वास्थ्य कर्मचारी (पुरुष)	स्वास्थ्य सहायक (महिला)/ महिला हेल्थ पर्यवेक्षक
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6	0	0	6	0	4	4
2.	आंध्र प्रदेश	18	11	7	13	12	8	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	11	3	4	9	3	3	8
4.	असम	30	5	6	6	15	26	20
5.	छत्तीसगढ़	16	7	4	5	0	15	6
6.	गुजरात	12	1	1	0	1	2	7
7.	हरियाणा	12	3	2	10	4	3	5
8.	हिमाचल प्रदेश	12	4	3	5	5	5	3
9.	जम्मू और कश्मीर	16	7	0	15	6	14	16
10.	झारखंड	23	23	23	23	23	23	23
11.	कर्नाटक	20	9	4	18	5	5	13
12.	मध्य प्रदेश	40	26	13	32	16	31	22
13.	महाराष्ट्र	26	8	1	23	9	13	4
14.	मेघालय	8	1	0	0	0	2	2
15.	मिजोरम	7	0	3	0	7	7	7
16.	ओडिशा	38	38	2	38	5	35	25
17.	पंजाब	12	1	1	12	6	9	4
18.	राजस्थान	30	11	27	21	8	17	12
19.	सिक्किम	4	0	0	1	1	2	0
20.	तमिलनाडु	12	8	0	12	0	0	0
21.	त्रिपुरा	7	4	4	3	4	2	6
22.	उत्तर प्रदेश	55	33	3	52	15	47	35
23.	उत्तराखंड	11	8	0	10	4	9	4
24.	पश्चिम बंगाल	22	15	0	22	22	22	22
कुल		**448**	**226**	**108**	**336**	**171**	**304**	**249**

अनुबंध - 5.9
(पैरा - 5.6 के संदर्भ में)
एससी के कर्मचारियों की उपलब्धता

क्र.सं	राज्य	लेखापरीक्षित एससी की संख्या	उप-केंद्रों की संख्या जहां कोई एएनएम/स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला) को तैनात नहीं किया		क्र.सं	राज्य	लेखापरीक्षित उप-केंद्रों की संख्या	उप-केंद्रों की संख्या जहां कोई एएनएम/स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला) को तैनात नहीं किया	
			संख्या	प्रतिशत				संख्या	प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	54	6	11.11	8	महाराष्ट्र	78	5	6.41
2	छत्तीसगढ़	48	3	6.25	9	राजस्थान	88	5	5.68
3	गुजरात	36	2	5.56	10	सिक्किम	15	1	6.67
4	हिमाचल प्रदेश	34	6	17.65	11	त्रिपुरा	17	12	70.59
5	जम्मू और कश्मीर	38	9	23.68	12	उत्तर प्रदेश	165	6	3.64
6	कर्नाटक	57	15	26.32	13	उत्तराखंड	33	1	3.03
7	मध्य प्रदेश	114	9	7.89					
						कुल	**777**	**80**	

एससी के स्वास्थ्य कर्मचारी-पुरुष की उपलब्धता

क्र.सं	राज्य/यूटी	लेखापरीक्षित एससी की संख्या	उप-केंद्रों की संख्या जहां कोई स्वास्थ्य कर्मचारी (पुरुष) को तैनात नहीं किया		क्र. सं	राज्य	लेखापरीक्षित उप-केंद्रों की संख्या	उप-केंद्रों की संख्या जहां कोई स्वास्थ्य कर्मचारी (पुरुष) को तैनात नहीं किया	
			संख्या	प्रतिशत				संख्या	प्रतिशत
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	24	17	70.83	12	महाराष्ट्र	78	19	24.36
2	आंध्र प्रदेश	54	25	46.30	13	मेघालय	24	24	100.00
3	अरुणाचल प्रदेश	31	20	64.52	14	मिजोरम	18	4	22.22
4	छत्तीसगढ़	48	14	29.17	15	ओडिशा	114	56	49.12
5	गुजरात	36	11	30.56	16	पंजाब	18	12	66.67
6	हरियाणा	18	7	38.89	17	राजस्थान	88	70	79.55
7	हिमाचल प्रदेश	34	19	55.88	18	सिक्किम	15	6	40.00
8	जम्मू और कश्मीर	38	27	71.05	19	त्रिपुरा	17	2	11.76

9	झारखंड	69	69	100.00	20	उत्तर प्रदेश	165	160	96.97
10	कर्नाटक	57	25	43.86	21	उत्तराखंड	33	33	100.00
11	मध्य प्रदेश	114	69	60.53	22	पश्चिम बंगाल	66	60	90.91
						कुल	**1,159**	**749**	

अनुबंध - 5.10
(पैरा - 5.7 के संदर्भ में)
आशा की भागीदारी और उनके प्रशिक्षण

क्र.सं	राज्य/यूटी	लेखापरीक्षित जिलों की संख्या	आशा की संख्या					
			चयन		प्रेरण प्रशिक्षण		चयन प्रेरण प्रशिक्षण	
			टी	ए	टी	ए	टी	ए
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	232	232	232	232	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	3,692	3,300	4	0	4,349	3,262
3.	बिहार	10	75,122	72,429	37,666	15,447	73,796	35,267
4.	छत्तीसगढ़	4	64,473	64,332	19,854	18,858	53,898	51,613
5.	गुजरात	3	23,522	21,633	4,500	3,889	24,391	18,876
6.	हरियाणा	3	132,94	11,904	9,896	8,496	4,926	3,762
7.	हिमाचल प्रदेश	3	1,587	1,584	1,586	1,584	1,586	1,584
8.	जम्मू और कश्मीर	4	670	670	791	640	2,295	1,887
9.	झारखंड	5	54,911	41,412	0	0	51,429	42,677
10.	कर्नाटक	5	13,964	12,364	12,233	11,488	15,178	13,864
11.	केरल	2	2,906	3,055	106	106	0	6,262
12.	मध्य प्रदेश	10	32,586	29,263	14,399	12,845	28,943	22,591
13.	महाराष्ट्र	5	38,910	38,105	8,316	6,094	36,679	31,595
14.	मेघालय	2	8,444	7,768	0	0	7,953	3,596
15.	ओडिशा	7	19,457	18,530	8,730	8,539	38,043	34,258
16.	पंजाब	3	14,373	13,932	5,134	4,632	11,157	11,031
17.	राजस्थान	7	26,141	19,137	12,523	7,626	18,549	19,668
18.	उत्तर प्रदेश	10	26,324	23,071	21,829	21,038	45,080	27,180
19.	उत्तराखंड	3	141	640	94	94	4,045	9,106
कुल		**92**	**4,20,749**	**3,83,361**	**1,57,893**	**1,21,608**	**4,22,297**	**3,38,079**

(टी: लक्ष्य, ए: उपलब्धि)

अनुबंध - 5.11
(पैरा - 5.8.1 के संदर्भ में)
एएनएम, स्टाफ नर्स और चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण

क्र.सं	राज्य	लेखापरीक्षित जिलों की संख्या	प्रशिक्षित होने के लिए लक्षित संख्या	वास्तव में प्रशिक्षित संख्या	कमी	*प्रतिशत*
एएनएम को प्रशिक्षण						
1.	बिहार	10	8,537	6,122	2,415	28.29
2.	छत्तीसगढ़	4	3,267	2,958	309	9.46
3.	गुजरात	3	5,133	2,334	2,799	54.53
4.	हरियाणा	3	3,610	3,269	341	9.45
5.	कर्नाटक	5	4,894	3,911	983	20.09
6.	केरल	2	1,050	1,016	34	3.24
7.	ओडिशा	7	7,124	6,136	988	13.87
8.	पंजाब	3	1,327	1,256	71	5.35
9.	राजस्थान	7	6,895	3,044	3,851	55.85
10.	तमिलनाडु	3	3,153	1,724	1,429	45.32
11.	उत्तर प्रदेश	10	5,339	3,872	1,467	27.48
कुल		**57**	**50,329**	**35,642**	**14,687**	
स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण						
1.	बिहार	10	1,330	558	772	58.05
2.	गुजरात	3	4,015	1,314	2,701	67.27
3.	हरियाणा	3	2,323	1,977	346	14.89
4.	कर्नाटक	5	5,954	4,503	1,451	24.37
5.	मध्य प्रदेश	10	875	732	143	16.34
6.	महाराष्ट्र	5	1,660	1,461	199	11.99
7.	ओडिशा	7	2,258	1,849	409	18.11
8.	पंजाब	3	687	586	101	14.70
9.	राजस्थान	7	1,588	363	1,225	77.14
10.	तमिलनाडु	3	1,948	1,045	903	46.36
	कुल	**56**	**22,638**	**14,388**	**8,250**	
चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण						
1.	अरुणाचल प्रदेश	4	907	786	121	13.34
2.	बिहार	10	1,952	858	1,094	56.05
3.	छत्तीसगढ़	4	690	543	147	21.30
4.	गुजरात	3	665	518	147	22.11
5.	हरियाणा	3	1,223	756	467	38.18
6.	कर्नाटक	5	1,228	989	239	19.46
7.	मध्य प्रदेश	10	455	401	54	11.87

8.	महाराष्ट्र	5	3,536	2,826	710	20.08
9.	ओडिशा	7	1,330	1,143	187	14.06
10.	राजस्थान	7	653	487	166	25.42
11.	तमिलनाडु	3	3,114	1,937	1,177	37.80
12.	त्रिपुरा	2	140	116	24	17.14
13.	उत्तर प्रदेश	10	709	542	167	23.55
कुल		**57**	**16,602**	**11,902**	**4,700**	

अनुबंध-5.12
(संदर्भ पैरा - 5.8.1)
आशा और एएनएम प्रशिक्षण पर राज्य विशिष्ट निष्कर्ष

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	**हिमाचल प्रदेश**	मॉड्यूल 6-7 के 1 से 4 दौर में, आशाओं को प्रशिक्षण देने में कमी 22 से 100 प्रतिशत के बीच थी, जो दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों/कार्यक्रम से आशाएं पूर्ण रूप से परिचित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण के लिए प्राप्त ₹6.49 करोड़ की उपलब्ध निधियों के प्रति, विभाग केवल ₹3.54 करोड़ का उपयोग कर सका, जिसने पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न होने के कारण ₹2.95 करोड़ तक की निधि को अव्ययित छोड़ा। एमडी एनआरएचएम ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा (जुलाई 2016) कि आशाओं, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी को परिचयात्मक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, तथा मॉड्यूल 6 तथा 7 के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए आवश्यक घर आधारित नवजात देखभाल किट (एचबीएनसी) की खरीद प्रक्रिया में देरी के कारण मॉड्यूल 6 तथा 7 में प्रशिक्षण समय से नहीं दिया जा सका।
2.	**मध्य प्रदेश**	2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान, योजना के अनुसार प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका था, क्योंकि बैचों के साथ-साथ प्रतिभागी/ प्रशिक्षुओं की संख्या में 42 प्रतिशत की कमी पाई गई थी। परिणामस्वरूप, ₹99.86 करोड़ की उपलब्ध निधि के प्रति केवल ₹46.80 करोड़ (47 प्रतिशत) का उपयोग प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत किया गया था।
3.	**झारखंड**	3,824 एचएससी[7] में से, 2,292 एचएससी में एसबीए प्रशिक्षित एएनएम तैनात किए गए थे जबकि शेष 1,532 एचएससी (40 फीसदी) में एसबीए अप्रशिक्षित एएनएम थे।

[7] उप-केन्द्र के समान

अनुबंध-6.1

{संदर्भ पैरा-6.1.1 (घ) (iv)}

स्वास्थ्य सुविधाओं में मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) की मॉनीटरिंग का विवरण

क्र.सं.	राज्य	चयनित स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या	सुविधाएं जहां मुख्य निष्पादन संकेतकों की मॉनीटरिंग की गई थी		स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रतिशत जहां केपीआई की मॉनीटरिंग नहीं की गई थी
			संख्या	डीक्यूएसी तथा एसक्यूएसी को रिपोर्टिंग मुख्य परिणाम संकेतक	
1.	आंध्र प्रदेश	30	0	0	100
2.	अरुणाचल प्रदेश	19	0	0	100
3.	बिहार	55	55	55	0.00
4.	छत्तीसगढ़	28	3	1	89.29
5.	गुजरात	28	7	8	75
6.	हरियाणा	22	2	2	90.91
7.	हिमाचल प्रदेश	21	0	0	100
8.	झारखंड	41	0	0	100
9.	कर्नाटक	54	4	3	94
10.	मध्य प्रदेश	71	17	15	76.06
11.	महाराष्ट्र	46	12	24	73.91
12.	मिजोरम	11	0	0	100
13.	ओडिशा	66	20	13	69.70
14.	पंजाब	23	3	0	86.96
15.	राजस्थान	52	8	4	84.62
16.	तमिलनाडु	21	3	1	85.71
17.	तेलंगाना	30	0	0	100
18.	त्रिपुरा	13	13	13	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	93	0	0	100
20.	उत्तराखंड	22	0	0	100
कुल		**746**	**147**	**139**	**80.29**

अनुबंध-6.2

{संदर्भ पैरा-6.1.1 (घ) (v)}

मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तथा कर्मचारियों के उन्मुखीकरण की उपलब्धता का विवरण

क्र.सं.	राज्य	चयनित स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या	एसओपी की उपलब्धता		उन्मुख कर्मचारी	
			स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या	प्रतिशत कमी	स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या	प्रतिशत कमी
1.	आंध्र प्रदेश	30	0	100	0	100
2.	अरुणाचल प्रदेश	19	1	94.74	0	100
3.	बिहार	55	7	87.27	7	87.27
4.	छत्तीसगढ़	28	7	75	7	75
5.	गुजरात	28	6	78.57	18	35.71
6.	हरियाणा	22	1	95.45	1	95.45
7.	हिमाचल प्रदेश	21	0	100	0	100
8.	झारखंड	41	0	100	0	100
9.	कर्नाटक	54	10	81.5	8	85
10.	मध्य प्रदेश	71	21	70.42	12	83.09
11.	महाराष्ट्र	46	29	36.95	22	52.17
12.	मिजोरम	11	5	54.55	11	0.00
13.	ओडिशा	66	15	76.92	15	77.27
14.	पंजाब	23	1	95.65	1	95.65
15.	राजस्थान	52	8	84.62	8	84.62
16.	तमिलनाडु	21	12	42.86	12	42.86
17.	तेलंगाना	30	0	100	0	100
18.	त्रिपुरा	13	3	76.92	3	76.92
19.	उत्तर प्रदेश	93	93	0	0	100
20.	उत्तराखंड	22	0	100	0	100
कुल		**746**	**219**	**70.64**	**125**	**83.24**

अनुबंध-6.3
(संदर्भ पैरा-6.2)
2011-16 के दौरान एसएचएम तथा एसएचएस की समितियों द्वारा की गयी बैठकों में कमी

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	समिति का नाम	मानदंडों के अनुसार अनिवार्य बैठकों की संख्या	वास्तव में की गयी बैठकों की संख्या	**कमी** (प्रतिशत)
1.	अरुणाचल प्रदेश	2011-16	एसएचएम[8]	7	2	71
			एसएचएस[9] जीबी[10]	7	0	100
2.	गुजरात	2011-16	एसएचएस जीबी	7	4	43
			एसएचएस ईसी[11]	33	20	39
3.	हिमाचल	2011-16	एसएचएम	7	4	43
4.	कर्नाटक	2011-16	एसएचएम	7	2	71
5.	केरल	2011-16	एसएचएम	7	1	86
			एसएचएस जीबी	7	5	29
			एसएचएस ईसी	33	9	73
6.	मध्य प्रदेश	2011-16	एसएचएस जीबी	7	2	71
7.	मेघालय	2011-16	एसएचएम	7	0	100
			एसएचएस जीबी	7	5	29
8.	मिजोरम	2011-16	एसएचएम	7	1	86
			एसएचएस जीबी	7	1	86
			एसएचएस ईसी	33	6	82
9.	राजस्थान	2011-16	एसएचएम	7	0	100
			एसएचएस जीबी	7	2	71
			एसएचएस ईसी	33	22	33
10.	पश्चिम बंगाल	2011-15	एसएचएफडब्ल्यूएस-ईसी	48	11	77

[8] राज्य स्वास्थ्य मिशन
[9] राज्य स्वास्थ्य सोसायटी
[10] जीबी: शासकीय निकाय
[11] कार्यकारी समिति

अनुबंध-6.4
(संदर्भ पैरा-6.4)
लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम

क्र.सं.	निष्कर्ष
1.	96.28 प्रतिशत और 97.94 प्रतिशत लाभार्थी क्रमशः आशा और एएनएम के बारे में जानते थे। आशा की प्रतिक्रिया के संबंध में, 4.7 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि आशा ने तत्परता नहीं दिखायी, जबकि 11.56 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि कभी-कभी प्रतिक्रिया त्वरित थी।
2.	78.47 प्रतिशत लाभार्थियों ने गर्भावस्था के 12 सप्ताह के अंदर एडब्ल्यूडब्ल्यू/एएनएम/आशा/ चिकित्सक के पास अपनी गर्भावस्था को पंजीकृत किया था। उल्लेखनीय रूप से, तीन राज्यों **बिहार, मेघालय** तथा **उत्तराखंड** में, 54 प्रतिशत से 73 प्रतिशत लाभार्थियों ने गर्भावस्था के 12 सप्ताह के भीतर अपना नाम पंजीकृत नहीं किया था।
3.	केवल 7.51 प्रतिशत लाभार्थियों ने घर पर प्रसव को प्राथमिकता दी। यद्यपि, तीन राज्यों **मणिपुर, मेघालय** तथा **नागालैंड** में, 64 प्रतिशत से 79 प्रतिशत लाभार्थियों ने घर पर प्रसव को प्राथमिकता दी।
4.	78 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) योजना के अंतर्गत भोजन मुफ्त प्रदान किया गया, 19.53 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि भोजन प्रदान नहीं किया गया था।
5.	26.58 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि जब उनके बुलाये जाने पर, एम्बुलेंस समय पर नहीं आयी। तीन राज्यों **कर्नाटक, राजस्थान** और **उत्तर प्रदेश** में प्रतिशतता अधिक (42 प्रतिशत से 47 प्रतिशत) थी।
6.	20 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा जेएसवाई नकद सहायता प्राप्त करने में 31 से 869 दिनों के बीच विलंब था।
7.	11.08 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि आईपीएचएस के अनुरूप प्रसव के सात दिनों के भीतर कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी घर पर उन्हें देखने नहीं आया।
8.	लाभार्थियों के 22.89, 19.27 तथा 21.66 प्रतिशत ने बच्चो के लिए क्रमशः आइएफए गोलियां/सिरप, विटामिन-ए खुराक और डी-वॉर्मिंग गोलियां/सिरप प्राप्त न होने की सूचना दी।
9.	**सिक्किम** में, 145 सर्वेक्षित लाभार्थियों में से, 113 लाभार्थियों (78 प्रतिशत) ने प्रसव सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैसे का भुगतान किया।
10.	लाभार्थियों को पेश आने वाली समस्याओं/कठिनाइयों के जवाब में, बताये गये कारणों/उत्तरों में स्थान का बहुत दूर होना (20.46 प्रतिशत), सेवा अच्छी नहीं (13.88 प्रतिशत), सेवा उपलब्ध नहीं (17.94 प्रतिशत) थे। परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं (21.88 प्रतिशत), सुविधा भीड़-भाड़ भरा (20.82 प्रतिशत)।

अनुबंध-7.1
{संदर्भ पैरा-7.2.1 (क)}
2011-16 के दौरान संस्थागत प्रसव

क्र.सं.	राज्य/यूटी	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्होंने संस्थागत प्रसव को चुना	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने संस्थागत प्रसव को चुना	संस्थागत प्रसव नहीं चुनने के कारण
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	30,030	22,876	76	इच्छुक नहीं
2.	आंध्र प्रदेश	47,05,896	40,09,452	85	प्रस्तुत नहीं किया गया
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,56,905	63,362	40	उल्लेखित नहीं है
4.	असम	38,85,118	25,40,188	82	प्रस्तुत नहीं किया गया
5.	बिहार	127,70,674	76,07,461	60	प्रस्तुत नहीं किया गया
6.	छत्तीसगढ़	33,19,466	16,92,487	51	प्रस्तुत नहीं किया गया
7.	गुजरात	70,87,861	55,66,206	79	विभिन्न रिवाजों के कारण गर्भवती महिलाओं ने संस्थागत प्रसव को नहीं चुना था।
8.	हरियाणा	29,23,650	21,42,725	73	प्रस्तुत नहीं किया गया
9.	हिमाचल प्रदेश	6,47,711	3,79,620	59	जिन क्षेत्रों से महिलाएं हैं वहां बर्फ या अन्य कारणों से रास्ता बंद है। कुछ पॉकेटों में, सांस्कृतिक विश्वास ऐसा है कि वे गृह प्रसव को चुनते हैं।
10.	जम्मू और कश्मीर	19,98,896	8,49,984	43	कठोर एवं कठिन इलाके के कारण।
11.	झारखंड	37,51,047	22,35,097	60	प्रस्तुत नहीं किया गया
12.	कर्नाटक	67,16,166	42,60,879	63	प्रस्तुत नहीं किया गया
13.	केरल	25,45,009	24,98,313	98	प्रस्तुत नहीं किया गया
14.	मध्य प्रदेश	93,72,406	60,87,160	65	रेफ़रल परिवहन की कमी, क्षेत्रों तक पहुंच कठिन, कॉल सेंटर को जोड़ने के लिए विलंबित नेटवर्क समस्या, रेफ़रल परिवहन के लिए कॉल सेंटर को विलंबित कॉल, इत्यादि।
15.	महाराष्ट्र	1,09,11,869	84,18,096	77	जानकारी, ज्ञान का अभाव, निरक्षरता, अंधविश्वास, गरीबी, विश्वास, परंपरा, इत्यादि।
16.	मणिपुर	3,95,640	1,49,992	38	प्रस्तुत नहीं किया गया

17.	मेघालय	6,37,351	2,13,701	34	प्रस्तुत नहीं किया गया
18.	मिजोरम	1,24,686	93,621	75	प्रस्तुत नहीं किया गया
19.	ओडिशा	40,93,249	30,98,355	76	प्रस्तुत नहीं किया गया
20.	पंजाब	24,25,932	17,64,957	73	प्रस्तुत नहीं किया गया
21.	राजस्थान	95,31,052	67,03,450	70	प्रस्तुत नहीं किया गया
22.	सिक्किम	46,963	32,026	68	प्रस्तुत नहीं किया गया
23.	तमिलनाडु	55,66,427	48,40,948	87	प्रस्तुत नहीं किया गया
24.	तेलंगाना	40,05,565	22,63,105	56	प्रस्तुत नहीं किया गया
25.	त्रिपुरा	3,81,530	2,23,166	58	प्रस्तुत नहीं किया गया
26.	उत्तर प्रदेश	2,68,09,476	1,16,10,806	43	प्रस्तुत नहीं किया गया
27.	उत्तराखंड	10,89,506	4,50,277	42	प्रस्तुत नहीं किया गया
28.	पश्चिम बंगाल	94,26,292	56,70,434	60	जानकारी की कमी/गृह प्रसव को इच्छुक

अनुबंध-7.2

{संदर्भ पैरा-7.2.2 (क)}

2011-16 के दौरान गर्भवती महिलाओं द्वारा प्राप्त प्रसव-पूर्व जांच का विवरण

क्र. सं.	राज्य/यूटी	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या	प्रसव-पूर्व जांच प्राप्त पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या			
			पंजीकरण के स्तर पर	प्रथम जांच: 20-24 सप्ताह	दूतीय जांच: 28-32 सप्ताह	तृतीय जांच: 34-36 सप्ताह
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	30,030	30,030	30,030	22,358	24,032
2.	आंध्र प्रदेश	47,05,896	47,05,896	33,76,703	एनए	44,27,748
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,56,905	1,56,905	एनए	एनए	58,119
4.	असम 2012-16	30,83,543	30,16,003	26,47,372	24,66,138	21,47,237
5.	बिहार	1,30,10,357	1,30,10,357	1,30,10,357	एनए	79,11,162
6.	छत्तीसगढ़	33,19,466	17,79,981	एनए	एनए	एनए
7.	गुजरात	70,87,861	70,87,861	51,63,719	62,10,657	54,61,946
8.	हरियाणा	29,23,650	29,23,650	14,82,561	एनए	20,12,834
9.	हिमाचल प्रदेश	6,47,711	एनए	4,11,156	एनए	5,32,646
10.	जम्मू और कश्मीर	19,98,896	19,98,896	7,48,746	6,43,087	12,94,845
11.	झारखंड	37,51,047	37,51,047	10,69,325	एनए	26,50,537
12.	कर्नाटक	67,16,166	45,10,198	एनए	एनए	एनए
13.	केरल	25,45,009	25,45,009	20,43,967	23,14,461	23,14,461
14.	मध्य प्रदेश	93,72,406	एनए	एनए	एनए	74,27,958
15.	महाराष्ट्र (2012-16)	86,15,037	53,74,074	72,21,738	63,88,474	60,60,774
16.	मणिपुर	3,95,640	3,95,640	2,24,843	एनए	2,20,461
17.	मेघालय	6,37,351	एनए	एनए	एनए	एनए
18.	मिजोरम	1,24,686	1,24,686	80,174	एनए	87,607
19.	ओडिशा	40,93,118	40,93,118	23,11,400	24,87,246	36,01,422
20.	पंजाब	24,25,932	24,25,932	16,75,126	एनए	21,67,041
21.	राजस्थान	95,31,052	51,36,326	एनए	एनए	एनए
22.	सिक्किम	46,963	एनए	33,148	एनए	39,626
23.	तमिलनाडु	55,66,427	55,66,427	0	0	51,40,664
24.	तेलंगाना	40,05,365	एनए	एनए	एनए	36,21,545
25.	त्रिपुरा	3,81,530	एनए	एनए	एनए	2,42,980
26.	उत्तर प्रदेश	2,68,09,476	एनए	1,42,00,649	एनए	1,91,62,821
27.	उत्तराखंड	10,89,506	6,23,954	एनए	एनए	8,34,557
28.	पश्चिम बंगाल	94,26,292	63,66,258	एनए	एनए	73,50,113

एनए: उपलब्ध नहीं

अनुबंध-7.3

{संदर्भ पैरा-7.2.2 (क) (i)}

2011-16 के दौरान 100 आईएफए गोलियां प्रदान की गयीं गर्भवती महिलाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य/यूटी	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या	100 आईएफए गोलियां प्रदान की गईं गर्भवती महिलाओं की संख्या	100 आईएफए गोलियां प्रदान की गईं गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत	गर्भवती महिलाओं की संख्या जो गंभीर एनिमिया से पीड़ित पायी गईं थीं	गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जो गंभीर एनिमिया से पीड़ित पायी गईं थीं
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	30,030	82,192	273.70	981	3.27
2.	आंध्र प्रदेश	47,05,896	45,47,676	96.64	1,42,064	3.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,56,905	76,141	48.53	2,683	1.71
4.	असम (2012-2016)	30,83,543	25,62,087	83.09	28,270	0.92
5.	बिहार	1,30,10,357	65,59,191	50.42	68,788	0.53
6.	छत्तीसगढ़	33,19,466	26,45,906	79.71	एनए	एनए
7.	गुजरात	70,87,861	61,43,535	86.68	1,52,716	2.15
8.	हरियाणा	29,23,650	21,39,014	73.16	1,14,501	3.92
9.	हिमाचल प्रदेश	6,47,711	4,63,245	71.52	4,158	0.64
10.	जम्मू और कश्मीर	19,98,896	7,39,241	36.98	1,22,086	6.11
11.	झारखंड	37,51,047	21,12,355	56.31	24,852	0.66
12.	कर्नाटक	67,16,166	59,38,257	88.42	2,52,581	3.76
13.	केरल	25,45,009	21,38,592	84.03	12,013	0.47
14.	मध्य प्रदेश	93,72,406	89,96,236	95.99	2,20,498	2.35
15.	महाराष्ट्र	1,09,11,869	77,10,613	70.66	2,60,470	2.39
16.	मणिपुर	3,95,640	1,00,258	25.34	701	0.18
17.	मेघालय	6,37,351	2,59,197	40.67	13,256	2.08
18.	मिजोरम	1,24,686	81,062	65.01	840	0.67
19.	ओडिशा	40,93,118	29,63,741	72.41	25,007	0.61
20.	पंजाब	24,25,932	19,98,668	82.39	22,738	0.94
21.	राजस्थान	95,31,052	64,58,792	67.77	2,07,284	2.17
22.	सिक्किम	46,963	38,007	80.93	134	0.29
23.	तमिलनाडु	55,66,427	39,69,211	71.31	1,48,939	2.68
24.	तेलंगाना	40,05,365	38,88,854	97.09	68,675	1.71
25.	त्रिपुरा	3,81,530	2,29,215	60.08	2,295	0.60
26.	उत्तर प्रदेश	2,68,09,476	2,03,15,500	75.78	3,81,353	1.42
27.	उत्तराखंड	10,89,506	5,37,151	49.30	21,382	1.96
28.	पश्चिम बंगाल	94,26,292	71,51,349	75.87	25,970	0.28

अनुबंध-7.4

(संदर्भ पैरा-7.2.5)

2011-12 तथा 2015-16 के बीच गर्भ से संबंधित जटिलताओं के साथ प्रसव में बढ़ती प्रवृति

क्र.सं.	राज्य/यूटी	वर्ष	संस्थागत प्रसवों की कुल संख्या	गर्भ से संबंधित जटिलताओं के साथ प्रसव की संख्या	गर्भ से संबंधित जटिलताओं के साथ प्रसव का प्रतिशत
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2011-12	4,870	527	10.8
		2012-13	4,856	799	16.5
		2013-14	4,411	701	15.9
		2014-15	4,649	418	9.0
		2015-16	4,090	1,178	28.8
		कुल	**22,876**	**3,623**	**15.8**
2.	हरियाणा	2011-12	4,34,144	27,823	6.4
		2012-13	3,90,153	34,477	8.8
		2013-14	4,27,375	97,236	22.8
		2014-15	4,59,284	106,334	23.2
		2015-16	4,56,411	34,040	7.5
		कुल	**21,67,367**	**2,99,910**	**13.8**
3.	जम्मू और कश्मीर	2011-12	1,52,998	12,545	8.2
		2012-13	1,69,012	2,206	1.3
		2013-14	1,76,738	20,859	11.8
		2014-15	1,79,191	23,983	13.4
		2015-16	1,72,045	27,721	16.1
		कुल	**8,49,984**	**87,314**	**10.3**
4.	झारखंड	2011-12	3,72,229	11,247	3.0
		2012-13	4,35,668	13,514	3.1
		2013-14	5,04,644	16,328	3.2
		2014-15	5,00,177	27,179	5.4
		2015-16	5,55,785	34,123	6.1
		कुल	**23,68,503**	**1,02,391**	**4.3**
5.	कर्नाटक	2011-12	7,88,977	35,017	4.4
		2012-13	8,37,707	44,581	5.3
		2013-14	8,53,689	56,283	6.6
		2014-15	8,84,610	60,609	6.9
		2015-16	8,95,896	67,739	7.6
		कुल	**42,60,879**	**2,64,229**	**6.2**
6.	केरल	2011-12	5,33,260	60,192	11.3
		2012-13	4,94,504	94,112	19.0

क्र.सं.	राज्य/यूटी	वर्ष	संस्थागत प्रसवों की कुल संख्या	गर्भ से संबंधित जटिलताओं के साथ प्रसव की संख्या	गर्भ से संबंधित जटिलताओं के साथ प्रसव का प्रतिशत
		2013-14	4,96,257	102,873	20.7
		2014-15	4,93,636	110,922	22.5
		2015-16	4,80,656	97,662	20.3
		कुल	**24,98,313**	**4,65,761**	**19**
7.	मध्य प्रदेश	2011-12	2,51,357	7,468	3.0
		2012-13	2,33,869	7,939	3.4
		2013-14	2,26,946	13,550	6.0
		2014-15	2,33,131	26,527	11.4
		2015-16	2,34,631	29,174	12.4
		कुल	**11,79,934**	**84,658**	**7.2**
8.	मेघालय	2011-12	38,511	4,782	12.4
		2012-13	41,266	4,122	10.0
		2013-14	43,541	6,123	14.1
		2014-15	44,369	7,283	16.4
		2015-16	46,014	7,701	16.7
		कुल	**2,13,701**	**30,011**	**14**
9.	ओडिशा	2011-12	6,23,299	35,394	5.7
		2012-13	6,03,831	56,475	9.4
		2013-14	6,29,106	69,494	11.0
		2014-15	6,27,484	84,529	13.5
		2015-16	6,14,635	1,05,732	17.2
		कुल	**30,98,355**	**3,51,624**	**11.3**
10.	पंजाब	2011-12	3,25,642	20,828	6.4
		2012-13	3,48,514	21,862	6.3
		2013-14	3,59,582	26,425	7.3
		2014-15	3,69,008	50,793	13.8
		2015-16	3,62,211	71,802	19.8
		कुल	**17,64,957**	**1,91,710**	**10.9**
11.	सिक्किम	2011-12	6,780	768	11.3
		2012-13	6,593	405	6.1
		2013-14	6,518	522	8.0
		2014-15	6,205	746	12.0
		2015-16	6,011	1,156	19.2
		कुल	**32,107**	**3,597**	**11.2**

क्र.सं.	राज्य/यूटी	वर्ष	संस्थागत प्रसवों की कुल संख्या	गर्भ से संबंधित जटिलताओं के साथ प्रसव की संख्या	गर्भ से संबंधित जटिलताओं के साथ प्रसव का प्रतिशत
12	उत्तराखंड	2011-12	78,590	5,809	7.39
		2012-13	84,930	7,823	9.21
		2013-14	92,425	8,447	9.13
		2014-15	98,520	9,581	9.72
		2015-16	95,812	9,419	9.83
		कुल	**4,50,277**	**41,079**	**9.12**
13.	पश्चिम बंगाल	2011-12	10,71,509	77,634	7.2
		2012-13	10,71,312	94,185	8.8
		2013-14	11,86,842	1,19,158	10.0
		2014-15	11,53,207	1,52,398	13.2
		2015-16	12,05,967	2,42,518	20.1
		कुल	**56,88,837**	**6,85,893**	**12.1**

अनुबंध-7.5
(संदर्भ पैरा-7.5.2)
2011-16 के दौरान कुल नसबंदी के मामलों में, पुरुष नसबंदी का अनुपात

क्र.सं.	राज्य/यूटी	पुरूष नसबंदी/एनएसवी मामलों की संख्या	महिला नसबंदी मामलों की संख्या	लैपरोस्कोपी मामलों की संख्या	कुल	कुल नसबंदी से पुरूष नसबंदी/एनएसवी का प्रतिशत
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14	535	3,538	4,087	0.34
2.	आंध्र प्रदेश	14,724	11,37,736	80,815	12,33,275	1.19
3.	अरुणाचल प्रदेश	13	5,925	3,499	9,437	0.14
4.	असम	26,225	2,55,428	एनए	2,81,653	9.31
5.	बिहार	23,521	27,39,877	एनए	27,63,398	0.85
6.	छत्तीसगढ़	22,542	2,45,094	2,47,308	5,14,944	4.38
7.	गुजरात	11,806	8,32,274	8,42,726	16,86,806	0.70
8.	हरियाणा	23,146	3,36,498	85,401	4,45,045	5.20
9.	हिमाचल प्रदेश	9,669	94,580	एनए	1,04,249	9.27
10.	जम्मू और कश्मीर	3,594	78,597	0	82,191	4.37
11.	झारखंड	34,290	5,37,873	43,195	6,15,358	5.57
12.	कर्नाटक	10,422	7,79,589	8,16,024	16,06,035	0.65
13.	केरल	8,261	3,82,012	92,041	4,82,314	1.71
14.	मध्य प्रदेश	82,775	0	15,89,437	16,72,212	4.95
15.	महाराष्ट्र	85,372	23,52,887	7,45,205	31,83,464	2.68
16.	मणिपुर	553	4,686	1,769	7,008	7.89
17.	मेघालय	121	12,832	220	13,173	0.92
18.	मिजोरम	1	8,636	614	9,251	0.01
19.	ओडिशा	11,865	6,32,121	2,47,958	8,91,944	1.33
20.	पंजाब	23,387	2,86,119	1,32,000	4,41,506	5.30
21.	राजस्थान	23,304	3,24,557	11,78,528	15,26,389	1.53
22.	सिक्किम	263	496	71	830	31.69
23.	तमिलनाडु	7,036	14,12,432	1,61,440	15,80,908	0.45
24.	तेलंगाना	34,178	8,41,949	2,28,589	11,04,716	3.09
25.	त्रिपुरा	416	0	19,108	19,524	2.13
26.	उत्तर प्रदेश	33,845	14,65,477	0	14,99,322	2.26
27.	उत्तराखंड	7,259	1,10,692	1,10,474	2,28,425	3.18
28.	पश्चिम बंगाल	25,353	8,81,468	72,646	9,79,467	2.59
कुल		**5,23,955**	**1,57,60,370**	**67,02,606**	**2,29,86,931**	**2.27**

अनुबंध-8.1

{संदर्भ पैरा-8.3.3(च)}

एचएमआईएस के अनुसार तथा अभिलेखों के अनुसार आंकड़ों में अंतर (महाराष्ट्र)

भंडारा जिला			रत्नागिरी जिला		बुलधाना जिला		नांदेड जिला		यवतमाल जिला	
वर्ष	संस्थागत प्रसव		संस्थागत प्रसव		संस्थागत प्रसव		संस्थागत प्रसव		संस्थागत प्रसव	
	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख
2011-12	15,860	17,994	7,929	22,745	26,109	0	38,912	36,358	24,524	42,131
2012-13	16,407	18,505	8,616	20,781	20,568	0	51,070	45,157	25,396	43,961
2013-14	16,756	19,542	8,341	19,583	21,879	48,626	43,734	35,194	21,724	39,581
2014-15	16,436	19,536	8,068	13,656	22,581	34,731	43,802	29,146	25,148	45,448
2015-16	16,826	19,967	7,885	20,334	19,203	42,491	57,642	29,313	24,168	44,977

भंडारा जिला			रत्नागिरी जिला		बुलधाना जिला		नांदेड जिला		यवतमाल जिला	
वर्ष	जीवित जन्म एम/एफ की कुल सं.		जीवित जन्म एम/एफ की कुल सं.		जीवित जन्म एम/एफ की कुल सं.		जीवित जन्म एम/एफ की कुल सं.		जीवित जन्म एम/एफ की कुल सं.	
	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख
2011-12	17,609	17,609	24,067	22,449	46,285	0	73,582	35,719	41,597	41,415
2012-13	82	18,173	17,592	20,623	51,204	0	83,033	44,636	43,300	43,282
2013-14	19,191	19,105	15,753	19,452	47,851	47,851	64,821	34,705	35,112	39,059
2014-15	19,101	19,110	13,581	13,581	40,769	34,400	64,415	28,901	44,918	44,942
2015-16	19,599	19,617	20,164	20,163	29,882	42,246	84,295	29,094	32,098	44,333

भंडारा जिला			रत्नागिरी जिला		बुलधाना जिला		नांदेड जिला		यवतमाल जिला	
वर्ष	आईएफए गोलियां प्रदान की गयी गर्भवती महिला की सं.		आईएफए गोलियां प्रदान की गयी गर्भवती महिला की सं.		आईएफए गोलियां प्रदान की गयी गर्भवती महिला की सं.		आईएफए गोलियां प्रदान की गयी गर्भवती महिला की सं.		आईएफए गोलियां प्रदान की गयी गर्भवती महिलाओं की सं.	
	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख
2011-12	7,827	7,827	14,638	25,040	13,248	0	37,323	24,948	30,388	37,844
2012-13	13,353	13,353	17,181	21,664	14,819	0	42,300	31,443	26,840	27,236
2013-14	12,111	12,317	14,424	19,432	37,240	37,282	54,698	45,572	43,221	37,871
2014-15	9,876	9,876	14,094	20,155	39,369	39,369	41,844	36,553	36,588	36,616
2015-16	8,939	8,943	13,909	21,540	37,776	40,055	22,166	25,404	30,555	32,781

भंडारा जिला			रत्नागिरी जिला		बुलधाना जिला		नांदेड जिला		यवतमाल जिला	
वर्ष	आईयूडी प्रविष्टि की सं.		आईयूडी प्रविष्टि की सं.		आईयूडी प्रविष्टि की सं.		आईयूडी प्रविष्टि की सं.		आईयूडी प्रविष्टि की सं.	
	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख	एचएमआईएस आंकड़े	अभिलेख
2011-12	3,427	3,404	7,246	7,252	4,357	5,822	5,998	6,347	9,259	8,809
2012-13	2,955	3,012	7,509	5,934	5,484	5,778	6,122	6,085	8,159	7,973
2013-14	2,697	2,468	6,969	6,667	6,483	6,419	6,445	6,193	7,440	8,279
2014-15	2,976	2,267	6,030	5,928	6,356	6,953	6,857	6,492	6,980	7,273
2015-16	2,964	2,956	6,504	6,439	5,618	6,668	8,708	8,597	6,975	7,746

अनुबंध-8.2
{संदर्भ पैरा-8.3.3(i) (4)}
एचएमआईएस के अनुसार आंकड़ों तथा चयनित स्वास्थ्य सविधाओं के अभिलेखों के अनुसार आंकड़ों में अंतर, 2015-16 (मेघालय)

क्र.सं.	आंकड़ा तत्व	एचएमआईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार
	चयनित जिला अस्पताल (3)		
1.	एएनसी के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या	1,540	2,002
2.	ऊपर से, पहले त्रैमासिक के भीतर पंजीकृत संख्या (12 सप्ताह के भीतर)	399	522
3.	जेएसवाई के तहत पंजीकृत महिलाओं की संख्या	1,159	1,621
4.	3 एएनसी प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या	1,190	1,543
5.	टीटी 1 प्राप्त गर्भवती महिलाओं की संख्या	641	953
6.	टीटी 2 या बूस्टर प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या	1,270	1,598
7.	हेमोग्लोबिन स्तर वाले गर्भवती महिलाओं की संख्या <11	1,601	2,373
8.	48 घंटे तथा 14 दिनों के बीच होने वाली प्रसवोत्तर जांच प्राप्त महिलाओं की संख्या	892	1,012
9.	पीएनसी मातृ जटिलताओं में भाग लेनेवालों की संख्या	315	217
10.	बीसीजी दिये गये बच्चों की संख्या	1,260	1,625
11.	डीपीटी 1 दिये गये बच्चों की संख्या	643	821
12.	डीपीटी 2 दिये गये बच्चों की संख्या	740	946
13.	डीपीटी 3 दिये गये बच्चों की संख्या	892	1,115
14.	हेपटाईटिस बी3 दिये गए बच्चों की संख्या	870	1,093
15.	डीपीटी बूस्टर दिये गये बच्चों की संख्या	641	797
	चयनति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (3)		
16.	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्होंने टीटी2 या बूस्टर प्राप्त किया	1,171	960
17.	हिमोग्लोबिन स्तर<11 रहने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या	1,165	1,066
18.	9 से 12 माह के बीच बच्चों की संख्या जेई की 1$^{ली}$ खुराक प्राप्त की	148	269
19.	डायरिया तथा निर्जलीकरण से पीड़ित बच्चों की संख्या	815	573
20.	श्वसन संक्रमण के साथ भर्ती बच्चों की संख्या	439	319
	चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (8)		
21.	100 आइएफए गोलियां दी गयी गर्भवती महिलाओं की संख्या	624	795
22.	हिमोग्लोबिन स्तर<11 रहने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या	1,405	1,232
23.	वितरित किए गए कंडोम की संख्या	3,730	2,735
24.	ओपीवी1 दिए गए बच्चों की संख्या	1,765	1,880

अनुबंध-8.3
{संदर्भ पैरा-8.3.3 (i) (5)}
एचएमआईएस तथा चयनित स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच आंकड़ों का अंतर (ओड़िशा)

(1) जिला अस्पताल (सात)

आंकड़ा मद	आंकड़ा के अनुसार		
	अभिलेख	एचएमआईएस	अंतर
प्रसूति एवं स्त्री रोग	7	4	3
मातृत्व देखभाल			
जेएसवाई लाभार्थियों की संख्या	36,686	19,915	16,771
मातृ मृत्यु की संख्या	58	42	16
शिशु मृत्यु की संख्या	1,037	1,032	5

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (21)

आंकड़ा मद	आंकड़ा के अनुसार		
	अभिलेख	एचएमआईएस	अंतर
प्रसूति एवं स्त्री रोग	15	16	1
शिशु चिकित्सा	7	1	6
प्रसवपूर्व देखभाल	16	11	5
नवजात शिशु देखभाल	19	13	6
प्रसवोत्तर देखभाल	19	15	4
प्रसव	21	17	4
मातृत्व देखभाल			
एएनसी पंजीकरण की संख्या	25,083	21,862	3,221
प्रसवों की संख्या	15,817	15,031	786
मातृ मृत्यु की संख्या	31	2	29
शिशु मृत्यु की संख्या	411	96	315

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (38)

आंकड़ा मद	आंकड़ा के अनुसार		
	अभिलेख	एचएमआईएस	अंतर
प्रसवपूर्व देखभाल	18	11	7
प्रसव पश्चात देखभाल	14	13	1
नवजात की देखभाल	10	3	7
जेएसवाई और जेएसएसके के तहत सेवाएं	11	14	3
मातृत्व देखभाल			
प्रसवों की संख्या	1,130	1,122	8
जेएसवाई लाभार्थियों की संख्या	807	513	294

(4) उप-केन्द्र (114)

आंकड़ा मद	आंकड़ा के अनुसार		
	अभिलेख	एचएमआईएस	अंतर
प्रसवपूर्व देखभाल	107	78	29
नवजात की देखभाल	80	40	40
प्रसव पश्चात देखभाल	104	78	26
जेएसवाई के तहत सेवाएं	83	50	33
मातृत्व देखभाल			
एएनसी पंजीकरण की संख्या	12,833	12,134	699
प्रसवों की संख्या	3,923	495	3,428
जेएसवाई लाभार्थियों की संख्या	7,070	3,072	3,998
शिशु मृत्यु की संख्या	257	142	115
मातृ मृत्यु की संख्या	18	10	8

अनुबंध-8.4
(संदर्भ पैरा-8.4)
एचएमआईएस में आंकड़ा के मामले ने निर्धारित सत्यापन विवरण/जांच को अस्वीकार किया

(1) आंकड़ा मद: जेएसवाई के अंतर्गत पंजीकृत नई महिलाएं

सत्यापन विवरण: जेएसवाई के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं की संख्या **<** एएनसी के लिए पंजीकृत महिलाओं की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	माह	जिला	कुल संख्या	एएनसी के लिए पंजीकृत महिलाओं की कुल संख्या
1.	**उत्तर प्रदेश**	2015-16	मई	**ईलाहाबाद**	10,547	10,545
2.	**मध्य प्रदेश**	2012-13	अगस्त	**बस्तर**	2,026	2,024
			दिसम्बर		2,229	2,126

(2) आंकड़ा मद: टीटी1 (वैक्सिन) दिये गये महिलाओं की सं.

सत्यापन विवरण: टीटी1 दिये गये गर्भवती महिलाओं की संख्या **<=** एएनसी के लिए पंजीकृत पीडब्ल्यू की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	माह	जिला	कुल संख्या	एएनसी के लिए पंजीकृत महिलाओं की कुल संख्या
1.	**उत्तर प्रदेश**	2015-16	अप्रैल	**ईलाहाबाद**	12,007	10,908
			मई		12,261	10,545
			जून		12,865	11,866

(3) आंकड़ा मद: 0 से 11 आयु तक के शिशुओं की संख्या जिन्होंने बीसीजी प्राप्त किया था

सत्यापन विवरण: बीसीजी के लिए प्रतिरिक्षित शिशुओं (0-11 माह) की संख्या

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	माह	जिला	कुल संख्या	जीवित जन्म पुरूष + जीवित जन्म महिला
1.	**मध्य प्रदेश**	2014-15	जुलाई	**टिकमगढ़**	2623	2,577
2.	**उत्तर प्रदेश**	2015-16	अप्रैल		11,145	4,248
			मई		10,498	5,041
			जून		10,649	5,391
			जुलाई		11,277	6,288
			अगस्त		11,811	9,447
			सितंबर	**ईलाहाबाद**	12,706	9,537
			अक्टूबर		14,021	9,900
			नवंबर		13,569	8,537
			दिसंबर		13,340	7,430
			जनवरी		12,904	7,894
			फरवरी		12,529	6,822

			मार्च		14,467	7,545
3.	**मेघालय**	2013-14	अप्रैल	**पूर्वी गारो हिल्स**	657	623
			मई		869	690
			जून		657	566
			जुलाई		659	465
			अगस्त		640	494
			अक्टूबर		734	514
			नवंबर		644	533
			दिसंबर		419	408
			जनवरी		636	594
			फरवरी		757	629
			मार्च		737	620

अनुबंध-8.5

(संदर्भ पैरा-8.5)

कम्प्यूटराइजेशन एवं नेटवर्किंग पर राज्य वार अभ्युक्तियां

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>राज्य</th><th>लेखापरीक्षा अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अरूणाचल प्रदेश</td><td>एचएमआईएस में संयोजकता केवल जिलों के स्तर पर उपलब्ध थी क्योंकि 84 में से 54 ब्लॉकों में इंटरनेट संयोजकता नहीं थी। इंटरनेट संयोजकता के बिना ब्लॉक, जिला मुख्यालय या निकट के इंटरनेट अभिगम्य क्षेत्र से रिपोर्ट अपलोड कर रहे थे। इंटरनेट संयोजकता और पर्याप्त श्रमशक्ति के अभाव में ब्लॉकों द्वारा अपलोड किया गया डाटा विलंबित था और एचएमआईएस में समय पर उपलब्ध नहीं था।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>असम</td><td>जांच में सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में, कम्प्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और आंकडा प्रविष्टि संचालक उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
<table>
<tr><th>स्वास्थ्य केन्द्रों की श्रेणी</th><th>चयनित स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या</th><th>कार्य कर रहे उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या</th><th>वह संख्या जिसमें इंटरनेट उपलब्ध है</th><th>वह संख्या जिसमें आंकडा प्रविष्टि संचालक उपलब्ध है</th></tr>
<tr><td>पीएचसी</td><td>30</td><td>18</td><td>07</td><td>08</td></tr>
<tr><td>सीएचसी/एसडीसीएच</td><td>13</td><td>10</td><td>09</td><td>03</td></tr>
<tr><td>डीएच</td><td>07</td><td>07</td><td>06[12]</td><td>04</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>हिमाचल प्रदेश</td><td>12 नमूना-परीक्षित पीएचसी में से केवल एक भोटा (हमीरपुर) पीएचसी में कम्प्यूटर और इंटरनेट सुविधा है जबकि 11 पीएचसी में प्रिंटर/ इंटरनेट सुविधा वाला कोई कम्प्यूटर नहीं था और ऐसे डाटा को मैनुअल रूप से अनुरक्षित किया गया था।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>महाराष्ट्र</td><td>चयनित पीएचसी और एसडीएच/सीएचसी में डाटा अनुरक्षण के विवरण नीचे दिए गए हैं:
<table>
<tr><th>स्वास्थ्य सुविधा का प्रकार</th><th>चयनित स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या</th><th>वह संख्या जिसमें कार्य करने वाले कम्प्यूटर उपलब्ध हैं</th><th>वह संख्या जिसमें इंटरनेट उपलब्ध है</th><th>वह संख्या जिसमें आंकड़ा प्रविष्टि संचालक उपलब्ध है</th></tr>
<tr><td>पीएचसी</td><td>26</td><td>25</td><td>18</td><td>20</td></tr>
<tr><td>सीएचसी/एसडीसीएच</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>2</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मणिपुर</td><td>एसएचएस, मणिपुर के साथ-साथ पीएचसी स्तर तक के दोनों चयनित</td></tr>
</table>

[12] डीएच, शिवसागर में इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं थे।

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		जिलें बिना नेटवर्किंग के स्वपूर्ण कम्प्यूटर के साथ कम्प्यूटरीकृत किए गए थे। हालांकि, इंटरनेट कनेक्शन या तो केबल या फिर डोंगल के माध्यम से प्रदान किया गया था।
6.	मिजोरम	इंटरनेट संयोजकता समस्या के कारण लेखापरीक्षित जिलों में ब्लॉक/मुख्य केन्द्रों से रिपोर्टिंग नहीं ली गई थी। केन्द्रों से डाटा का अद्यतन न किए जाने के कारण जिला/राज्य स्तर में समेकन पूर्ण रूप से समेवित नहीं था।
7.	राजस्थान	एमआईएस में डाटा अपलोड करने के लिए मोबाईल स्वास्थ्य दलों के लिए राष्ट्रीय बाल-स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 2014-15 में ₹2.45 करोड़ (लैपटॉप के प्रापण हेतु - ₹2.25 करोड़, डाटा कार्ड और किराया - ₹0.20 करोड़) का प्रावधान किया गया था। हालांकि, डाटा कार्ड के क्रय/किराए के लिए जिलों को केवल ₹5.99 लाख जारी किए गए थे जबकि लैपटॉपों के प्रापण के लिए कोई संस्वीकृति जारी नहीं की गई थी।
8.	सिक्किम	भौतिक सत्यापन से पता चला कि अधिकत्तर पीएचसी में कम्प्यूटर नेटवर्किंग संतोषजनक नहीं थी। 15 पीएचसी (चयनित) में से किसी में भी कम्प्यूटर या इंटरनेट सुविधा नहीं थी। दो पीएचसी (पश्चिम जिले में डेन्तम और उत्तर सिक्किम में ही-ग्याथांग) में किसी आंकड़ा प्रविष्टि संचालक की नियुक्ति नहीं की गई थी।
9.	पश्चिम बंगाल	04 जिलों के चयनित 22 पीएचसी में, यह पाया गया था कि 21 पीएचसी में कम्प्यूटर नहीं था जबकि एक पीएचसी[13] में इंटरनेट कनेक्शन वाला कम्प्यूटर था परंतु कोई डीईओ/सांख्यिकीय सहायक नहीं था।

[13] पश्चिम मेदिनीपुर के सालबोनी ब्लॉक में पीएचसी, गोदापयासल

अनुबंध-8.6
(संदर्भ पैरा-8.6)
सुविधाओं में रजिस्टरों/अभिलेखों के अनुरक्षण की स्थिति

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>राज्य</th><th>लेखापरीक्षा अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अरूणाचल प्रदेश</td><td>4 चयनित जिलों में, 30 चयनित एससी में किसी ने भी 12 रजिस्टरों के पूरे सेट का अनुरक्षण नहीं किया था। अनुरक्षित न किए जाने वाले रजिस्टरों की संख्या 2 से लेकर 10 तक थी।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>असम</td><td>चयनित स्वास्थ्य सुविधाओं में नियमित रूप से अनुरक्षित/अद्यतित न किए गए रजिस्टर
<table>
<tr><th>स्वास्थ्य सुविधा (संख्या)</th><th>रजिस्टर के प्रकार</th><th>अनुरक्षित न किए गए/ अद्यतित न किए गए रजिस्टरों वाली स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की संख्या</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td rowspan="9">एससी (45)</td><td>योग्य कपल रजिस्टर</td><td>16</td><td>अनुरक्षित नहीं किया गया</td></tr>
<tr><td>प्रसवपूर्व/प्रेगनेंसी रजिस्टर</td><td>13</td><td>अद्यतित नहीं किया गया</td></tr>
<tr><td>जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर</td><td>10</td><td>अनुरक्षित नहीं किया गया</td></tr>
<tr><td>दवा रजिस्टर</td><td>14</td><td>-वही-</td></tr>
<tr><td>उपकरण/फर्नीचर रजिस्टर</td><td>25</td><td>-वही-</td></tr>
<tr><td>संक्रामक/महामारी रजिस्टर</td><td>41</td><td>-वही-</td></tr>
<tr><td>निगरानी/मलेरिया के लिए रजिस्टर</td><td>31</td><td>-वही-</td></tr>
<tr><td>जेएसवाई रजिस्टर</td><td>38</td><td>-वही-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">सीएचसी (12)</td><td>टीका भंडार रजिस्टर</td><td>01</td><td>अद्यतित नहीं किया गया</td></tr>
<tr><td>तापमान मॉनीटरिंग रजिस्टर</td><td>3</td><td>-वही-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">डीएच (7)</td><td>टीका भंडार रजिस्टर</td><td>02</td><td>-वही-</td></tr>
<tr><td>तापमान मॉनीटरिंग रजिस्टर</td><td>01</td><td>-वही-</td></tr>
<tr><td>प्रतिरक्षण रजिस्टर</td><td>6</td><td>-वही-</td></tr>
</table>
रजिस्टरों के अनुरक्षण/अद्यतन नहीं किए जाने के कारण मासिक रिपोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रस्तुत डाटा के स्रोत सत्यापित नहीं किए गए थे जिसके कारण गलत सूचना की संभावनाएं भी बनती थीं।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>गुजरात</td><td>36 चयनित एससी में से नौ में 12 अनिवार्य रजिस्टरों को अनुरक्षित किया गया था। अनिवार्य रजिस्टरों का गैर-अनुरक्षण पांच एससी में, 6 से लेकर 11 तक में हुआ था। भुवर एससी में कोई रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
4.	हरियाणा	चयनित 18 एससी में 2 से 5 रजिस्टरों को अनुरक्षित नहीं किया गया था।
5.	हिमाचल प्रदेश	चयनित एससी में, 2011-16 के दौरान एक से सात रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए थे।
6.	झारखंड	पांच चयनित जिलों[14] के 69 चयनित एससी में चार से नौ रजिस्टरों को अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था।
7.	केरल	नौ चयनित सीएचसी में से मुंडक्कयम सीएचसी में आउटब्रेक रिपोर्ट एवं सामान्य प्रतिरक्षण चार्ट को अनुरक्षित नहीं किया गया था तथा सचिवोथमपुरम सीएचसी में साप्ताहिक निगरानी रिपोर्ट को अनुरक्षित नहीं किया गया था। 36 चयनित एससी में से केवल पांच ने सारे 12 रजिस्टरों का अनुरक्षण किया था और शेष 31 एससी ने नौ से ग्यारह रजिस्टरों को अनुरक्षित किया था।
8.	मणिपुर	17 चयनित एससी में से किसी ने भी सारे निर्धारित 12 रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इन एससी में दो से 10 रजिस्टरों को अनुरक्षित नहीं किया गया था।
9.	मेघालय	24 चयनित एससी में, दो रजिस्टर अर्थात संक्रामक रोग/महामारी के रजिस्टर/निगरानी रजिस्टर तथा जल गुणवत्ता और स्वच्छता अनुरक्षित नहीं पाए गए थे।
10.	ओडिशा	छः जिलों के 71 चयनित एससी में एक से नौ रजिस्टरों को अनुरक्षित नहीं किया गया था।
11.	राजस्थान	88 चयनित एससी में से नौ ने कोई रजिस्टर नहीं बना रखा था, 29 एससी ने पांच से 11 रजिस्टर नहीं बना रखे थे और 50 एससी ने एक से चार रजिस्टर नहीं बना रखे थे।
12.	सिक्किम	दक्षिण और पश्चिम जिलों में 15 चयनित एसी ने केवल चार से सात रजिस्टर बना रखे थे।
13.	तेलंगाना	दो जिलों मेदक और नलगोंडा में चयनित केन्द्रों में जल गुणवत्ता और स्वच्छता के लिए रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था।
14.	त्रिपुरा	17 चयनित एससी में, केवल तीन से आठ रजिस्टर बनाए गए थे। परिणामस्वरूप, एससी स्तर पर जेएसवाई, छोटी बीमारी, जल गुणवत्ता और स्वच्छता, संक्रामक/महामारी बिमारियों आदि से संबंधित सूचना एससी स्तर पर उपलब्ध नहीं पाई गई थी।
15.	उत्तर प्रदेश	चयनित एससी में, तीन से 10 रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए थे। रजिस्टर अर्थात योग्य युगल रजिस्टर, दवा रजिस्टर, निगरानी के लिए संक्रामक रोग/महामारी रजिस्टर, जन्म तथा मृत्यु रजिस्टर आदि नहीं बनाए गए थे।

[14] दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिम सिंहभूम

अनुबंध-8.7
(संदर्भ पैरा-8.8)
असामान्य भिन्नता दर्शाती आरसीएच संकेतक/पैरामीटर

क्र.सं.	संकेतक का नाम	राज्यों से एकत्र आंकड़ों के साथ एचएमआईएस आंकड़ों में भिन्नता का परिसर (प्रतिशत में)*
1.	एएनसी के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या	-74 से 75
2.	वर्तमान गर्भावस्था के दौरान टीटी2 या बूस्टर दी गयी गर्भवती महिलाओं की संख्या	-911 से 70
3.	100 आईएफए गोलियां दी गई गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या	-874 से 78
4.	संस्था में उपचारित गंभीर रक्ताल्पता (एचबी<7) पीडित गर्भवती महिलाओं की संख्या	-285 से 91
5.	एक्लम्पसिया के मामलों की संख्या जिनका प्रसव के दौरान प्रबधन किया गया।	-57 से 96
6.	प्रसव_कुल_संस्थागत_सार्वजनिक_निजी (गणना की गई फ़ील्ड)	-77 से 73
7.	प्रसूति संबंधी जटिलताओं के साथ तथा सार्वजनिक सुविधाओं अर्थात पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच, डीएच और अन्य सार्वजनिक संस्थाएं में देखी गयी गर्भवती महिलाओं के मामलों की संख्या	-774 से 94
8.	जेएसवाई प्रोत्साहन धन प्राप्त महिलाओं की कुल संख्या (गणना क्षेत्र)	-2,89,270 से 10,04,978 (संख्या में)
9.	पुरुष और महिला जीवित जन्मों की कुल संख्या (4.1.1.ए और 4.1.1.बी)	-75 से 75
10.	अभी भी जन्म	-31 से 90
11.	सार्वजनिक सुविधाओं अर्थात पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच, डीएच और अन्य राज्य स्वामित्व वाली सार्वजनिक संस्थाओं में मृत शिशु जन्म हुई एनएसवी या परंपरागत स्त्री नसबंदी की कुल संख्या	-197 से 100

** (-) भिन्नता राज्यों से एकत्र आंकड़ों को दर्शाता है जो एचएमआईएस से प्राप्त आंकड़ों से कम है और (+) भिन्नता राज्यों से एकत्र आंकड़ों को दर्शाता है जो एचएमआईएस आंकड़ों से प्राप्त आंकड़ों से अधिक है।*

अनुबंध-8.8
(पैरा-8.8.1 के संदर्भ में)

100 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धियां दर्शाते हुए आरसीएच मापदंड

क्र.सं.	आरसीएच मापदंड (गणना की गई फील्ड	विवरण	अपवाद (3,218 अभिलेखों को छोड़कर)
1.	एएनसी अनुपात	3 एएनसी प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं (पीडब्ल्यू) की संख्या के प्रति पंजीकृत पीडब्लयू के चैकअप की संख्या का अनुपात	115 अभिलेखों में, एएनसी के लिए पंजीकृत पीडब्ल्यू की संख्या के प्रति 3 एनसी चैकअप पाने वाली पीडब्ल्यू की संख्या का अनुपात 105 प्रतिशत से अधिक था।
2.	टीटी 1 अनुपात	टीटी 1 दी जा चुकी पीड्ब्लयू की संख्या के प्रति पंजीकृत पीडब्ल्यू की संख्या का अनुपात	52 अभिलेखों मे, एएनसी के लिए पंजीकृत पीडब्ल्यू की संख्या के प्रति टीटी 1 दी जा चुकी पीडब्ल्यू की संख्या के अनुपात 105 प्रतिशत से अधिक था।
3.	टीटी 2 अनुपात	टीटी 2 दी जा चुकी पीडब्लयू की संख्या के प्रति पंजीकृत पीडब्ल्यू की संख्या का अनुपात	77 अभिलेखों में, एएनसी के लिए पंजीकृत पीडब्ल्यू की संख्या के प्रति टीटी 2 दी जा चुकी पीडब्ल्यू की संख्या के अनुपात 105 प्रतिशत से अधिक थे।
4.	100 आईएफए गोलियों का अनुपात	100 आईएफए गोलियां दी गई पीडब्ल्यू की संख्या के प्रति पंजीकृत पीडब्ल्यू के प्रति पंजीकृत पीडब्ल्यू की संख्या का अनुपात	213 अभिलेखों में एएनसी के लिए पंजीकृत पीडब्ल्यू की संख्या के प्रति 100 आईएफए गोलियां दी गई पीड्ब्लयू की संख्या के अनुपात 105 प्रतिशत से अधिक थे।
5.	सार्वजनिक/निजी/घर पर कुल प्रसव	सार्वजनिक/निजी/घर पर कुल प्रसवों के प्रति एएनसी के लिए पंजीकृत पीडब्ल्यू की संख्या का अनुपात	120 अभिलेखों में, एएनसी के लिए पंजीकृत पीडब्ल्यू की कुल संख्या के (अनुपात के) प्रति सार्वजनिक/निजी/घर में प्रसवों का अनुपात 105 प्रतिशत से अधिक था।
6.	गर्भपात समेत कुल प्रसव	गर्भपात समेत कुल प्रसवों के प्रति एएनसी के लिए पंजीकृत पीडब्ल्यू की संख्या का अनुपात	215 अभिलेखों में, एएनसी के लिए पंजीकृत पीडब्ल्यू की संख्या के प्रति गर्भपात समेत कुल प्रसवों अनुपात 105 प्रतिशत से अधिक था।
7.	जेएसवाय अनुपात	जेएसवाय लाभ प्रदान किए जाने वाली पीडब्ल्यू की संख्या के प्रति जेएसवाय के अंतर्गत पंजीकृत पीडब्ल्यू की संख्या का अनुपात	147 अभिलेखे में जे.एस.वाई लाभ प्राप्त पी.डब्ल्यू की संख्या के प्रति कुल पंजीकृत पी.डब्ल्यू की संख्या का अनुपात 105 प्रतिशत से अधिक था।
8.	वजन किए गए नवजात के प्रति	वजन किए गए नवजात की संख्या के प्रति कुल जन्मों का अनुपात	10 अभिलेखों में, कुल जन्मों (जीवत+मृत) के प्रति वजन किए गए

क्र.सं.	आरसीएच मापदंड (गणना की गई फील्ड	विवरण	अपवाद (3,218 अभिलेखों को छोड़कर)
	कुल जन्म	(जीवित+मृत)	नवजात की संख्या का अनुपात 105 प्रतिशत से अधिक था।
9.	एक घन्टे के भीतर स्तनपान कराए गए नवजात	जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराए गए नवजात की संख्या प्रति जन्मों की कुल संख्या का अनुपात	13 अभिलेखों में, कुल जीवित जन्मों (पुरूष एवं महिलाओं) की संख्या के प्रति स्तनपान कराए गए नवजात की संख्या का अनुपात 105 प्रतिशत से अधिक था।
10.	ओपीवी 0 मामले	ओपीवी-0 दिए गए शिशुओं की संख्या के प्रति अस्पताल में हुए प्रसवों की कुल संख्या का अनुपात	899 अभिलेखों में, अस्पताल में हुए प्रसवों की कुल संख्या के प्रति ओपीवी 0 दिए गए शिशुओं की संख्या का अनुपात 105 प्रतिशत से अधिक था।
11.	प्रसव के 24 घंटों के भीतर नवजात का चैकअप	प्रसव के 24 घंटों के भीतर नवजात का चैकअप किए जाने की संख्या के प्रति घर पर प्रसवों और प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित एसबीए द्वारा देखभाल किए जाने की कुल संख्या का अनुपात	71 अभिलेखों में, प्रसव के 24 घंटों के भीतर चैकअप किए गये नवजात की संख्या के प्रति प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित एसबीए द्वारा घर पर प्रसवों और देखभाल किए जाने की कुल संख्या का अनुपात 105 प्रतिशत से अधिक था।
12.	प्रतिरक्षण मामलों का प्रतिशत	एक माह के दौरान जहां आशा मौजूद थीं वहां प्रतिरक्षण सत्रों की संख्या के प्रति माह के दौरान प्रतिरक्षण सत्रों की संख्या का अनुपात	23 अभिलेखों में, एक माह के दौरान जहां आशा मौजूद थीं वहां प्रतिरक्षण सत्रों की संख्या के प्रति माह के दौरान प्रतिरक्षण सत्रों की संख्या का अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था
13.	निजी संस्थानों में कुल प्रसवों के प्रति भुगतान किए गए जेएसवाई	मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में किए गए प्रसवों के लिए माताओं को भुगतान किए गए जेएसवाई प्रोत्साहन की संख्या के प्रति निजी संस्थानों (सी-सेक्शन समेत) में किए गए प्रसवों का अनुपात	35 अभिलेखों में, मान्यता प्राप्त संस्थानों में किए गए प्रसवों के लिए माताओं को भुगतान किए गए जेएसवाई प्रोत्साहन की संख्या के प्रति निजी संस्थानों (सी-सेक्शन समेत) में किए गए प्रसवों का अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था।
14.	आशा द्वारा जेएसवाय (अस्पताल में प्रसव) अस्पताल में कुल प्रसव के लिए किए गए भुगतान	सार्वजनिक और निजी संस्थानों में किए गए प्रसवों के लिए जेएसवाय प्रोत्साहन का भुगतान किए गए आशा कर्मचारियों की संख्या के प्रति अस्पताल में किए गए कुल प्रसवों का अनुपात	98 अभिलेखों में, सार्वजनिक और निजी संस्थानों में किए गए प्रसवों के लिए जेएसवाय प्रोत्साहन का भुगतान किए गए आशा कर्मचारियों की संख्या के प्रति अस्पताल में किए गए कुल प्रसवों का अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था।
15.	आशा द्वारा जेएसवाय (अस्पताल में प्रसव) कुल प्रसवों	सार्वजनिक और निजी संस्थानों में किए गए प्रसवों के लिए आशा कर्मचारियों को भुगतान किए गए जेएसवाई प्रोत्साहनों की संख्या के	53 अभिलेखों में, सार्वजनिक और निजी संस्थानों में किए गए प्रसवों के लिए आशा कर्मचारियों को भुगतान किए गए जेएसवाई प्रोत्साहनों की संख्या के प्रति

क्र.सं.	आरसीएच मापदंड (गणना की गई फील्ड	विवरण	अपवाद (3,218 अभिलेखों को छोड़कर)
	का भुगतान	प्रति घर समेत अस्पताल में हुए कुल प्रसव	घर समेत अस्पताल में हुए कुल प्रसव 100 प्रतिशत से अधिक था।
16.	जेएसवाय लाभार्थियों के प्रति एएनसी अनुपात के लिए पंजीकृत पीडब्ल्यू	जेएसवाय लाभार्थियों के प्रति एएनसी के लिए पंजीकृत पीडब्ल्यू का अनुपात	39 अभिलेखों में, पंजीकृत पीडब्ल्यू से अधिक जेएसवाय लाभार्थी थे।